शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 16

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

नागवंशी जनजाति

का मानवशास्त्रीय अध्ययन

नागवंशी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 16

नागवंशी जनजाति

का मानवशास्त्रीय अध्ययन

निर्देशन	:	शम्मी आबिदी IAS संचालक
मार्गदर्शन	:	श्री डी.पी नागेश उपसंचालक
अध्ययन एवं प्रतिवेदन	:	श्रीकांत कसेर (उपसंचालक) गिरधारी लाल बलेन्दर (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर (छ.ग.) 2021-22

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृ.क्र.
अध्याय – 1	प्रस्तावना	01–02
अध्याय – 2	अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि	03–14
अध्याय – 3	भौतिक संस्कृति	15–26
अध्याय – 4	आर्थिक जीवन	27–34
अध्याय – 5	सामाजिक संरचना	35–43
अध्याय – 6	जीवन संस्कार	44–50
अध्याय – 7	राजनैतिक संगठन	51–54
अध्याय – 8	धार्मिक जीवन	55–58
अध्याय – 9	लोक परम्पराएँ	59–64
अध्याय – 10	समस्याएं एवं परिवर्तन	65–68

अध्याय - 1 प्रस्तावना

भारतीय समाज में जनजाति से आशय वन्य जाति, आदिवासी वनवासी, आदिमजाति, गिरिजन आदि से है। ये जनजाति ऐसे लोगों का समुदाय है जो आज भी जंगलों में निवास करते हैं। प्राकृतिक साधनों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज से दूर रहते हैं। तथा शिक्षा, कृषि, उद्योग धन्धे आदि से अपरिचित है। भारत के जनगणना 1991 के अनुसार ये अपने सीमित साधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सके है। और आज भी विज्ञान की इस चकाचौंध व सभ्यता की होड़ से अपरिचित ही है। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति (ट्रायबल) के अंतर्गत किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान है। ये भौगोलिक रूप से निश्चित भू–भाग (जंगल, पहाड, गुफाओं) आदि में निवास करते हैं। समाजशास्त्री इन्हें वंचित वर्ग, समूह या समुदाय द्वारा सम्बोधित करते है। ''वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक समुह है। जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को ही अपना उद्‌गम मानता हो तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे है।''

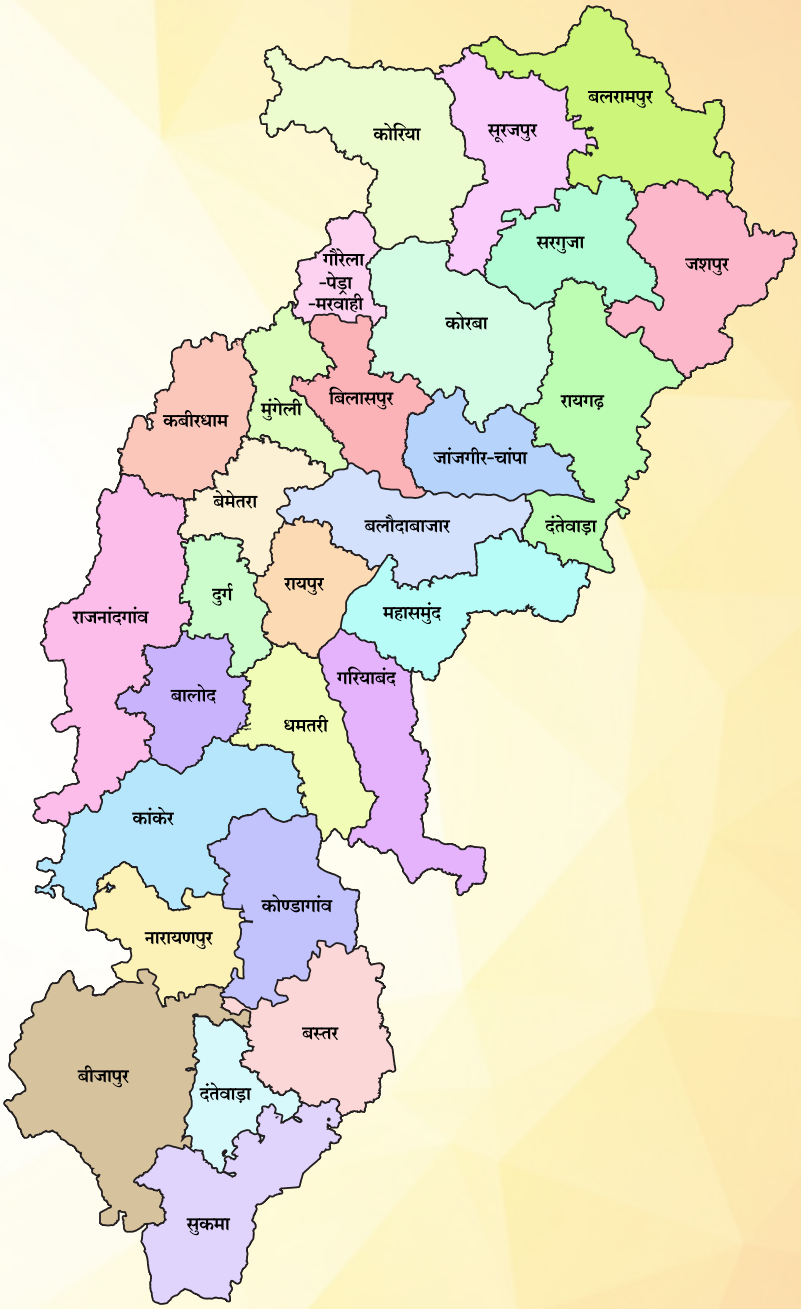

प्रत्येक जनजाति की अपनी एक बोली होती है जिसके माध्यम से ये अपने–अपने विचारो को अभिव्यक्त करते है। ये जनजातियां प्रायः स्थानीय बोलियों का प्रयोग करती है। जनजाति अपने नाम से पहचानी जाती है जनजाति के सदस्य अपने नाम से ही अपना परिचय प्रस्तुत करते है जैसे–गोंड़, हल्बा, कवंर, नागवंशी, उरांव आदि। एक निश्चित भू–भाग में रहने के कारण ही जनजातियों में सामान्य जीवन की विशेषताएं विकसित हो

जाती है। निशिचित भू–भाग जनजातियों की विशिष्ट पहचान है, जैसे उरांव जाति छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति से भी जानी जाती है एक जनजाति के सभी सदस्यों में एक सामान्य संस्कृति अर्थात प्रथाएं रीति रिवाज, नृत्य, धर्म, खान–पान, रहन–सहन होता है। प्रत्येक जनजाति एक समान प्रजातीय तत्वो एक समान भाषा संस्कृति वाले परिवारों का एक समुह है। ये सामान्यतः अपनी प्रथा, परम्परा, विश्वास आदि नातेदारों तक ही सीमित रखते है। जनजाति एक अन्तर्विवाही समुह होतेा है जिसका प्रत्येक जनजाति कड़ाई से पालन करते है। प्रत्येक जनजाति समुह का एक मुखिया होता है, जो अपने समाज के अंदर ही विवाह जैसे संस्कारों का संपादन कराते हैं। परम्पराओं का पालन कराने, नियंत्रण रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था करता है। जनजाति समाज अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहता है, अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को ये स्वयं ही पूरा कर लेते है। शिकार, वनोपज संग्रहण तथा कृषि के माध्यम से जनजातियां अपनी दैनिक आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करती है। जनजातियों में सामान्य निषेध के कारण ही खान–पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय के प्रतिबंध बने है।

सन् 1950 में जनजातियों को भारतीय संविधान के आधार पर सूचीबद्ध करने के कारण ही अनुसूचित जनजाति कहा गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची के अनुक्रमांक 16 में गोंड़ के उपजाति नागवंशी उल्लेखित है। नागवंशी जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा जिलों के जंगलों पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है। ये प्रोटो–आस्ट्रोलायड प्रजातीय लक्षण के जनजाति है। ये आपस में संवाद के लिए सादरी, सरगुजिहा छत्तीसगढी बोली का उपयोग करते है। छत्तीसगढ़ में नागवंशी जनजाति की कुल जनसंख्या गोड़ एवं उसकी उपजातियों के साथ सम्मिलित रूप से जनगणना 2011 में 4298404 दर्शित है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 2120974 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 2177430 है, तथा कुल साक्षरता दर 47.94 प्रतिशत दर्शित है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 56.95 प्रतिशत व स्त्रियों की साक्षरता दर 39.17 प्रतिशत है।

❑❑❑❑

अध्याय - 2 अध्ययन क्षेत्र एवं प्राविधि

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य का संक्षिप्त परिचय :-

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 ॰46 उत्तरी अक्षांश से 24 ॰5 उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.20 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 135191 वर्ग किलोमीटर है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है। 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आए भारत का 26 वें नवोदित राज्य छ.ग. में मूलतः 16 जिले थे। वर्तमान समय में राज्य में जिलों की कुल संख्या 28 है। राज्य के ये 28 जिले 5 संभागों (बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर एवं दुर्ग) के अंतर्गत आते है।

छ.ग. के भौगोलिक विस्तार में अनेक असमानताएं विद्यमान है। इसके उत्तरी भाग में कोरिया, सरगुजा, तथा जशपुर जिलों में पर्वतमालाओं एवं पठार का विस्तार है। मैकाल पर्वत श्रेणी कवर्धा जिले में दक्षिण–पूर्व तक विस्तृत है। पूर्वी भाग में सत्ती पर्वत लगभग महानदी कछार तक फैला है। रायगढ़ जिला महानदी के उपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है। दुर्ग और राजनांदगांव मैदानी और मैकल श्रेणी में विभक्त है। बस्तर का अधिकांश भाग पठारी है।

2.2 जनसंख्या :-

छ.ग. राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1,28,32,895 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,27,12,303 है।

2.3 जनसंख्या घनत्व :-

छ.ग. राज्य की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी है।

2.4 जनसंख्या वृद्धि दर :-

छ.ग. राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार (2001–2011) 22.6 प्रतिशत है।

2.5 लिंगानुपात :-

लिंगानुपात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है, सन् 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

2.6 साक्षरता :-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. की सम्पूर्ण साक्षरता 70.3 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों की साक्षरता 80.3 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 60.2 प्रतिशत है।

2.7 नगरीकरण :-

नगरीकरण से तात्पर्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात से है। छ.ग. की जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में वितरित है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या 5,93,7,237 है। यह कुल जनसंख्या का 23.2 प्रतिशत है।

2.8 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियां :-

ऐसे जनजातियां जिन्हे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है अनुसूचित जनजाति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है किवह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते है। छ.ग. में अनुसूचित जनजातियों समूह की संख्या 42 है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 7,82,2,902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग एक–तिहाई है। सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी पायी जाती है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में इन जातियों का वितरण समान रूप से नहीं है। ये जनजातियां आमतौर पर पहाड़ी तथा वनाच्छादित क्षेत्रों में अधिक रहते है।

तालिका 2.8 : जिलेवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011)

क्र.	जिला	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिला	अनु.ज.जा प्रतिशत
1	सरगुजा	1300628	652799	647829	55.11%
2	बस्तर	931780	456841	474939	65.93%
3	जशपुर	530378	262731	267647	62.28%
4	रायगढ़	505609	250473	255136	33.84%
5	बिलासपुर	498469	248172	250297	18.71%
6	कोरबा	493559	246323	247236	40.90%
7	रायपुर	476446	235271	241175	11.72%
8	कांकेर	414770	203934	210836	55.38%
9	दन्तेवाड़ा	410255	199731	210524	76.88%
10	राजनांदगांव	405194	198032	207162	26.36%
11	दुर्ग	397416	196008	201408	11.88%
12	कोरिया	304280	152659	151621	46.18%
13	महासमुंद	279896	137339	142557	27.10%
14	धमतरी	207633	102058	105575	25.96%
15	बीजापुर	204189	101519	102670	80.00%
16	जांजगीर–चांपा	187196	93186	94010	11.56%
17	कवर्धा	167043	82597	84446	20.31%
18	नारायणपुर	108161	53518	54643	77.36%
	योग	**7822902**	**3873191**	**3949711**	**30.60%**

स्त्रोत : जनगणना 2011 के अनुसार

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी सरगुजा जिलें में तथा सबसे कम आबादी नारायणपुर जिलें में है।

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि एक ओर जहां बीजापुर जिलें की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 80.00 प्रतिशत है वहीं जांजगीर–चांपा जिले में यह मात्र 11.56 प्रतिशत ही है। राज्य के 7 जिलों – दन्तेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर, सरगुजा, बीजापुर एवं नारायणपुर में आधी से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

2.9 जनजातियों का संकेन्द्रण :-

छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों के संकेन्द्रण को तीन भागों में बांटा जा सकता है :–

1. **उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र** - इसमें कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर मुंगेली तथा जांजगीर चांपा जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां–गोंड़, कंवर, नागवंशी, नगेसिया, पण्डो, कोरवा, बिरहोर, उरांव, खैरवार, बिझंवार तथा भैना है।
2. **मध्यवर्ती भाग** - इस क्षेत्र में रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा जिले है यह क्षेत्र कमार, हल्बा, भतरा, सोता, सवरा तथा बिझंवार आदि जनजातियों का निवास क्षेत्र है।
3. **दक्षिणी क्षेत्र** - दक्षिणी क्षेत्र में बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा कांकेर जिले शामिल है इस क्षेत्र में गोड़, मारिया, मुडिया, हल्बा, अबुझमाड़िया, परजा, गदबा तथा भतरा आदि जनजातियां पाई जाती है।

2.10 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां :-

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है जो निम्नानुसार है :–

1.	बैगा	:	कवर्धा, बिलासपुर।
2.	पहाड़ी कोरवा	:	कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जशपुर
3.	बिरहोर	:	जशपुर, रायगढ़
4.	अबुझमाड़िया	:	नारायणपुर
5	कमार	:	गरियाबंद

जशपुर जिले की सामान्य जानकारी :-

जशपुर जिला वर्ष 1998 में जिला–रायगढ़ से पृथक कर बनाया गया। 1 नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश से विभाजित होकर छ.ग. राज्य अस्तित्व में आया। नवगठित राज्यों में 16 जिलों में से जिला–जशपुर एक है। यह जिला राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है इसकी पूर्वी सीमा पर झारखण्ड राज्य, पश्चिम में बिलासपुर,

उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। जशपुर जिले की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4569.00 वर्ग किलोमीटर है।

2.11 विकासखण्ड :-

जशपुर जिले में विकासखण्ड क्रमशः

1. जशपुर
2. दुलदुला
3. कुनकुरी
4. फरसाबहार
5. बगीचा
6. कांसाबेल
7. पत्थलगांव
8. मनोरा

ये सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

2.12 ग्राम की संख्या : -

जशपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या 657 है राजस्व ग्राम 646 एवं वनग्राम 11

2.13 जनजातियां :-

जशपुर जिले में मुख्य रूप से उरांव, कंवर, नागवंशी, नगेसिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, खडिया, खैरवार तथा भुईयां जनजाति निवास करती है। विकासखण्ड बगीचा एवं मनोरा में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं विकासखण्ड कुनकुरी, कांसाबेल, दुलदुला एवं बगीचा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर निवास करते है।

2.14 जनसंख्या -

सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर जिले की कुल जनसंख्या 851669 है जिसमें पुरूषों जनसंख्या 424747 एवं महिलाओं की संख्या 426922 है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या – सन् 2011 की जनगणना के आधार पर जशपुर में कुल जनजातियां 530378 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 262731 एवं महिलाओं की संख्या 267647 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 62.28 प्रतिशत है। जिले में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 48844 है जिसमें पुरूषों की संख्या 24317 एवं महिलाओं की संख्या 24527 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 5.74 प्रतिशत है।

विकासखण्डवार कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या

क्र.	विकासखण्ड	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनु.जाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत	अनु. जनजाति कुल जनसंख्या का प्रतिशत
		कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला		
1	बगीचा	171711	86023	86688	6616	3370	3246	121195	60365	60830	3.85	70.58
2	कांसाबेल	76735	37840	38895	4695	2305	2390	47849	23493	24356	6.12	62.34
3	जशपुर	96360	48449	47911	6213	3086	3127	54977	27301	27676	6.45	57.05
4	मनोरा	60695	30710	29985	1974	1005	969	48740	24542	24198	3.25	80.30
5	कुनकुरी	95300	47657	47643	4958	2452	2506	46765	23104	23661	5.20	49.03
6	दुलदुला	50840	25092	25748	2636	1301	1335	25023	12271	12752	5.18	49.07
7	फरसाबहार	108498	53496	55002	3594	1787	1807	64631	31610	33021	3.31	59.57
8	पत्थलगांव	191530	95480	96050	18158	9011	9147	121198	60045	61153	9.48	63.28
	योग	**851669**	**424747**	**426922**	**48844**	**24317**	**24527**	**530378**	**262731**	**267647**	**5.74**	**62.27**

स्त्रोत : जनगणना 2011 के अनुसार

2.15 जनसंख्या घनत्व :-

जशपुर जिला की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किमी 146 व्यक्ति है।

2.16 जनसंख्या वृद्धि दर :-

जशपुर जिला मे जनसंख्या वृद्धि दर सन् 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) 14.60 प्रतिशत है।

2.17 लिंगानुपात :-

जशपुर जिला की लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरूष पर महिलाओं की संख्या 1005 है।

2.18 साक्षरता :-

जशपुर जिला की साक्षरता प्रतिशत सन् 2011 के गणना के अनुसार 67.29 प्रतिशत है। जिले में पुरूष साक्षरता 77.32 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 58.61 प्रतिशत है।

रायगढ़ जिले की सामान्य जानकारी :-

रायगढ़ जिला राज्य के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। यह बिलासपुर जिले के 21.20 से 23.15 उत्तरी अक्षांश तथा 82.56 से 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसके उत्तर में जशपुर जिला दक्षिण पूर्व में

उड़ीसा राज्य की सरहद तक 6527.44 वर्ग किलो मीटर के दायरे में फैला रायगढ़ जिला उत्तरीय क्षेत्र जहां बीहड़ जंगल, पहाड़ियों से आच्छादित है वही इसका दक्षिण हिस्सा मैदानी है। जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, महानदी, माण्ड, केलो, ईब, कन्हर एवं गौर नदियां है। इसमें से कुछ नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है जो कृषि फसल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है।

2.19 जिले का नाम :-

जिले का नाम रायगढ़ नगर पर पड़ा है जो रायगढ़ जिले का मुख्यालय है। जिले के गठन के पूर्व रायगढ़ एक महत्वपूर्ण सामंती रियासत की राजधानी थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस गजेटियर में बताया गया है। रायगढ़ नाम की उत्पत्ति 'राई' से हुई है, जिसका अर्थ कटीले वृक्ष की एक प्रजाति से होता है और गढ़ शब्द का अर्थ किला होता है। राई का मानक हिन्दी नाम ''कल्ला'' है जिसका अर्थ डिलिनिया पैन्टागाईना राक्सबी होता है। छत्तीसगढ़ तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में 'गढ़' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किला ही नहीं होता है। रतनपुर के हैहय शासकों के अधीन गढ़ एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होता था, जिसमें किला होता था या नहीं भी होता था। गढ़ पारंपरिक रूप से 84 गांवों का नियंत्रण रखता था। बाद में इस शब्द से स्थान का अधिक महत्व बढ़ जाने से गढ़ शब्द अन्य अनेक बस्तियों के नाम के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया।

2.20 जनसंख्या :-

2011 की जनगणना के अनुसार रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 1493984 जिसमें पुरूष जनसंख्या 750278 एवं महिला जनसंख्या 750278 है। जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या 224942 है जो कुल जनसंख्या का 15.06 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 505609 है जो कुल जनसंख्या का 33.84 प्रतिशत है।

रायगढ़ जिले की जनसंख्या विकासखण्डवार निम्नानुसार है :–

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या			अनु.जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत	अनु.जनजाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या से प्रतिशत
		कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला		कुल	पुरूष	महिला	
1	धरमजयगढ़	207030	103310	103720	13942	6973	6969	6.73	136915	67783	79132	66.13
2	लैलूंगा	130613	65035	65578	9622	4759	4863	7.37	82923	41179	41744	63.48
3	घरघोड़ा	79425	39330	40095	6096	3028	3068	7.68	46718	22983	23735	58.82
4	तमनार	97975	49342	48633	9508	4797	4711	9.70	47818	23621	24197	48.81
5	रायगढ़	307513	157560	149953	48000	24056	23944	15.61	56498	28258	28240	18.37
6	पुसौर	139799	70261	69538	20075	9995	10080	14.35	28775	14333	14442	20.58
7	खरसिया	150627	75194	75433	19106	9480	9626	12.68	44105	21727	22378	29.28
8	सारंगढ़	229603	114164	115439	73854	36666	37188	32.17	31402	15483	15919	13.68
9	बरमकेला	151399	76082	75317	24739	12357	12382	16.34	30455	15106	15349	20.12
योग		**1493984**	**750278**	**743706**	**224942**	**112111**	**112831**	**15.06**	**504609**	**250473**	**255136**	**33.84**

वर्तमान में रायगढ़ जिले के विकासखण्ड घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार पूर्णतः आदिवासी विकासखण्ड है जबकि सामुदायिक विकासखण्ड में रायगढ़, सारंगढ़, पुसौर व बरमकेला है। खरसिया विकासखण्ड का कुछ हिस्सा सामुदायिक एवं कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र है।

निवासरत जातियाँ :-

रायगढ़ जिले में प्रमुख रूप से कंवर, उरांव नगेसिया, नागवंशी, कोरवा, मांझी, भैंसवार, भूमिया, भूईहार जनजाति निवास करती है।

विशेष पिछड़ी जनजातियां बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा यहां निवास करती है। अनुसूचित जाति में मोची, चिकवा, सतनामी, सूर्यवंशी, घासी या घसिया, खटिक, आदि निवासरत है।

2.21 पर्यटन स्थल :-

रायगढ़ जिला ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यहां सिंघनपुर, ओंगना, करमागढ़ की पहाड़िया तथा रायगढ़ के समीप कबरा पहाड़ में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्यों द्वारा निर्मित शैलचित्र पाये गये है।

2.22 प्रशासनिक इकाई :-

प्रशासनिक रूप से रायगढ़ जिला 5 अनुविभाग एवं 9 तहसील क्रमश : खरसिया, घरघोड़ा लैलुंगा धरमजयगढ़, तमनार, रायगढ़, पुसौर सारंगढ़, बरमकेला में विभक्त है। जिले में आदिवासी विकासखण्डों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आदिम जनजातियां की संख्या अधिक है। ऐसे क्षेत्र जहां 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है एवं आदिवासी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, उसे माडा पॉकेट के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे माडा पॉकेट सारंगढ़ तथा गोपालपुर है। माडा पॉकेट सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखण्ड के 56 ग्राम तथा बरमकेला विकासखण्ड के 42 ग्राम एवं 2 वनग्राम इस प्रकार कुल 100 ग्राम है। जबकि माडा पॉकेट गोपालपुर में 33 ग्राम शामिल है इस प्रकार जिले में माडा पॉकेट कि अंतर्गत 133 ग्राम शामिल किया गया है। जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धरमजयगढ़ में 6 विकासखण्डों के 762 गांवों को शमिल किया गया है।

2.23 जनसंख्या घनत्व :-

रायगढ़ जिले की जनसंख्या घनत्व सन् 2011 की जनगणना अनुसार 211 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

2.24 जनसंख्या वृद्धि दर :-

रायगढ़ जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) में 18.05 प्रतिशत है।

2.25 लिंगानुपात :-

लिंगानुपात महिलाओं एवं पुरूषों के पारस्परिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। सन् 2011 के जनगणना के अंतिम आकड़ों के अनुसार रायगढ़ जिले के लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर 991 महिलाएं है।

2.26 साक्षरता :-

रायगढ़ जिले की जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत 73.26 है जिसमें पुरूष साक्षरता प्रतिशत 83.49 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता प्रतिशत 63.02 प्रतिशत है।

अध्ययन प्रविधि :-

नागवंशी जनजाति की मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु जशपुर जिले में नागवंशी निवासरत विकासखण्डों के ग्रामों का चयन दैव निर्दशन विधी से प्राथमिक समंक हेतु विकासखण्ड पत्थलगांव के पांच गांव क्रमशः झक्कड़पुर परिवार संख्या 12, पंगसुना परिवार संख्या 10, कोड़ेकेला परिवार संख्या 10, रघुनाथपुर परिवार संख्या 12, मुड़ापारा परिवार संख्या 10, विकासखण्ड कांसाबेल के दो गांव क्रमशः बटईकेला परिवार संख्या 10, खारपानी परिवार संख्या 12, विकासखण्ड बगीचा के चार गांव क्रमशः घोघर परिवार संख्या 10, महुआडीह परिवार संख्या 12, मरोल परिवार संख्या 10, सरईपानी परिवार संख्या 10, व विकासखण्ड कुनकुरी के दो गांव क्रमशः हर्राडांड़ परिवार संख्या 10, घमुण्डा परिवार संख्या 8 का चयन कर पारिवारिक अनुसूची का संकलन किया गया है तथा द्वितीय समंक हेतु पूर्व प्रकाशित पुस्तकों व ग्रंथों, शासकीय प्रकाशित प्रतिवेदनों व अभिलेखों का उपयोग किया गया है व अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए सामाजिक जनों से सामूहिक परिचर्चा करके जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं तत्पश्चात अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

जशपुर जिले में नागवंशी निवासरत ग्रामों की सूची नागवंशी समाज प्रमुखों द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारी अनुसार निम्न है :–

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	अनुमानित जनसंख्या
1	पत्थलगांव	झक्कड़पुर	2000
2	———..———	पंगसुवा	3000
3	———..———	गाला	500
4	———..———	पाकरगांव	500
5	———..———	घरजिया बथान	1000
6	———..———	कोडेकेला	2500
7	———..———	रघुनाथपुर	1000
8	———..———	मुड़ापारा	1500
9	———..———	तिरसोंढ	800
10	———..———	चंद्रपुर	500
11	———..———	कछार	1800
12	———..———	लुडेग	1200
13	———..———	शेखरपुर	500
14	———..———	डुमर बहार	300

15	———..———	बेलडेगी	400
16	———..———	सरईटोला	500
17	———..———	कुकुर भुका	60
18	———..———	चिकनीपानी	1200
19	———..———	कोकियाखार	80
20	———..———	खमतरई	300
21	———..———	छातासरई	1400
22	———..———	महेशपुर	800
23	———..———	काडरो	1600
24	———..———	कुकर गांव	1700
25	———..———	खाड़ामाचा	1300
26	———..———	मुड़ाबहला	900
27	———..———	कर्राजोर	600
28	———..———	बगईझरिया	700
29	———..———	पिठाआमा	200
30	———..———	खमगड़ा	60
31	———..———	पतराटोली	30
32	———..———	सुरंगपानी	80
33	———..———	कर्रा बेवरा	1100
34	———..———	पालीडीह	15
35	———..———	बंधनपुर	20
36	———..———	कुकरीचोली	30
37	कांसाबेल	खारपानी	300
38	———..———	बटईकेला	800
39	———..———	नगबार	200
40	———..———	भुरसाढाब	230
41	———..———	बासेन	220
42	———..———	छेराघोघरा	80
43	बगीचा	घोघर	1500
44	———..———	सरईपानी	800

45	———..———	महुआडीह	900
46	———..———	रेंगोला	600
47	———..———	कुर्रोग	1100
48	———..———	डेलडब्बा	300
49	———..———	बोड़ापहरी	250
50	———..———	बम्बा	500
51	———..———	पसिया	800
52	———..———	ढोढरआंबा	380
53	———..———	मरोल	600
54	———..———	बगीचा	200
55	कुनकुरी	कापा	300
56	———..———	ठेटेटोला	150
57	———..———	टांगरबहरी	120
58	———..———	हर्राडांड	400
59	———..———	अंवरीजोर	120
60	———..———	ढोड़ीडांड	80
61	———..———	कलिबा	90
62	———..———	रजौटी	160
63	———..———	कोटिया	80
64	———..———	धंवईटोली	110
65	———..———	पकरीकछार	130
66	———..———	घटमुंण्डा	230
67	———..———	बेहराखार	25
68	———..———	सालिकटोली	35
69	———..———	लोढाअंबा	45

सर्वेक्षित ग्रामों की सूची :-

नागवंशी जनजाति सर्वेक्षित ग्रामों की सूची तालिका में निम्नानुसार है –

तालिका सर्वेक्षित ग्रामों की सूची

क्र.	जिला	वि.ख.	सर्वेक्षित ग्राम	परिवार संख्या	प्रतिशत
1	जशपुर	पत्थलगांव	(1) झक्कड़पुर	12	8.82
			(2) पंगसुना	10	7.35
			(3) कोड़ेकेला	10	7.35
			(4) रघुनाथपुर	12	8.82
			(5) मुड़ापारा	10	7.35
			योग	**54**	**39.71**
2	जशपुर	कांसाबेल	(6) बटईकेला	10	7.35
			(7) खारपानी	12	8.82
			योग	**22**	**16.17**
3	जशपुर	बगीचा	(8) घोघर	10	7.35
			(9) महुडीह	12	8.82
			(10) मरोल	10	7.35
			(11) सरईपानी	10	7.35
			योग	**42**	**30.88**
4	जशपुर	कुनकुरी	(12) हर्राडांड़	10	7.35
			(13) घमुण्डा	08	5.88
			योग	**18**	**13.23**
			महायोग	**136**	**100.00**

उपरोक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षित 136 परिवारों में से जशपुर जिले के वि.ख. पत्थलगांव में सर्वाधिक 39.71 प्रतिशत, वि.ख. बगीचा में 30.88 प्रतिशत, वि.ख. कांसाबेल में 16.17 प्रतिशत व वि.ख. कुनकुरी में 13. 23 प्रतिशत परिवारों का अध्ययन किया गया।

ग्रामवार कुल जनसंख्या :-

सर्वेखित 136 परिवारों की ग्रामवार जनसंख्या तालिका में निम्नानुसार है–

तालिका ग्रामवार कुल जनसंख्या

क्र.	जिला	वि.ख.	सर्वेक्षित ग्राम	परिवार संख्या	पुरूष	महिला	योग
1	जशपुर	पत्थलगांव	(1) झक्कड़पुर	12	37	28	60
			(2) पंगसुना	10	27	23	50
			(3) कोड़ेकेला	10	25	26	51
			(4) रघुनाथपुर	12	33	26	59
			(5) मुड़ापारा	10	24	25	49
2	जशपुर	कांसाबेल	(6) बटईकेला	10	23	22	45
			(7) खारपानी	12	33	31	64
3	जशपुर	बगीचा	(8) घोघर	10	24	23	47
			(9) महुआडीह	12	34	27	61
			(10) मरोल	10	23	24	47
			(11) सरईपानी	10	25	22	47
4	जशपुर	कुनकुरी	(12) हर्राडांड़	10	26	23	49
			(13) घमुण्डा	08	22	18	40
			योग	**136**	**351**	**318**	**669**

कुल जनसंख्या :-

सर्वेक्षित 136 नागवंशी जनजाति परिवारों में कुल जनसंख्या तालिका में निम्नानुसार है –

तालिका कुल जनसंख्या

क्र.	विवरण	कुल जनसंख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	351	52.47
2	महिला	318	47.53
	योग	**669**	**100.00**
कुल सर्वेक्षित परिवार संख्या 136			

सर्वेक्षित 136 परिवारों में नागवंशी जनजाति की कुल जनसंख्या 669 पायी गई। जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 351 (52.47 प्रतिशत) व महिलाओं की जनसंख्या 318 (47.53 प्रतिशत पायी गई है।

लिंगानुपात :-

सर्वेक्षित नागवंशी परिवारों में प्राप्त आंकड़ों पर प्रति हजार पुरूषों पर 905 महिलाएँ हैं।

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{स्त्रियों की जनसंख्या}}{\text{पुरूषों की जनसंख्या}} \times 1000$$

$$\frac{318}{351} \times 1000 = 905$$

❑❑❑❑

अध्याय - 3 भौतिक संस्कृति

3.1 ग्राम संरचना :-

नागवंशी गोड़ जनजाति मुख्यतः जशपुर जिले के पत्थलगांव, कांसाबेल, बगीचा, कुनकुरी एंव रायगढ़ जिले के लैलुंगा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में निवासरत है। इनके ग्राम पहाड़ियों एवं जगलों में पाये जाते हैं। अधिकांश ग्राम नागवंशी गोड़ जनजाति बाहुल्य ग्राम हैं, अल्प संख्या में उरांव जनजातियाँ, अगरिया, लोहार, यादव, गांडा जाति के लोग भी निवासरत हैं।

ग्राम के प्रमुख स्थान को 'सरना' कहते हैं, जहाँ ग्राम देवी देवताओं की पूजा की जाती हैं। ग्राम के बीचो बीच अथवा मुखिया घर के पास सामाजिक बैठक हेतु चबुतरे का निर्माण किया गया हैं, पक्की चबुतरे पाये गये। समस्त ग्रामों में सामुदायिक निस्तार हेतु एक या दो तालाब पाये जाते हैं। वर्तमान में पाराटोला, स्कूल, बाजार हाट के समीप शासकीय हैण्डपंप स्थापित किया गया हैं। ग्राम में बसाहट क्षेत्र से लगा हुआ छोटे–छोटे जोत के कृषि भूमि दिखाई देती हैं।

3.2 आवास निर्माण :-

नागवंशी जनजाति के मकान दूर–दूर ऊँचे और लम्बे होते हैं इनके मकान मिट्टी के होते हुए भी स्वच्छ और सुन्दर दिखाई देते हैं, मकान का निमार्ण परिवार के सदस्य आपस में मिलकर और आवश्यकतानुसार मजदूर की सहायता से पूरा करते हैं। दीवाल बनाने के लिए किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती हैं। केवल छत बनाने के लिए बढ़ई बुलाते हैं। इसके बावजूद दीवाल नीव से लेकर छत तक इतने सीधे बनाये जाते हैं कि लगता हैं पक्की ईटों से जुड़ाई किया गया हैं। घर बनाने की कुशलता इन्हें परम्परागत रूप से प्राप्त हुई हैं। आवास भवन निर्माण की परम्परागत विधि इस प्रकार हैं –

घर निर्माण का प्रारंभ माघ (जनवरी) माह से शुरू किया जाता है। भवन निमार्ण हेतु जगह का चुनाव जाति बैगा द्वारा किया जाता हैं। शनिवार व मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य किसी भी दिन जगह का चुनाव किया जा सकता हैं। नियत तिथि में जाति बैगा द्वारा इनके इष्ट देव छुपरा, केसला पाट, ठाकुरदेव, हरदीपाट, पासेनपाट, खम्हाडोल, बूढ़ापाठ एवं बासेन की पूजा की जाती है, तथा बकरे की बलि दी जाती है।

सर्वप्रथम जाति बैगा वाछित जगह में साबर गड़ा कर वहां नारियल, धूप ,सिंदूर, आरवा चावल, गिलास में पानी तथा एक बोतल दारू रख देता है। इसके पश्चात बलि के लिए लाये बकरे को जमीन के दूसरे छोर से छोड़ते है। यदि बकरा साबर के नीचे रखे चावल को आकर खा लेता हैं, तो उस जगह को भवन निर्माण हेतु उचित मान लेते हैं, अन्यथा उपरोक्त प्रक्रिया साबर का स्थान बदल कर दोहराई जाति हैं। जगह चयन की विधान को ''दाना–चराना'' कहा जाता हैं। बकरे के दाना (चावल) खा लेने पर भवन निर्माण का स्थान निश्चित हो जाता हैं। अब बैगा बकरे का सर काटकर अभिष्ट देवताओं को चढ़ाता है, और खून स्वयं पीता हैं।

इस चयनित जगह में नींव खोदने का कार्य किया जाता हैं। नीव खोदने से पहले बगई डोरी (रस्सी) लेकर कमरे एवं परछी के लिए एक–दो फीट चौड़ी दो समान्तर रेखा खिची जाती हैं। इस रेखा के अनुरूप 2–3 फीट गहरा गड्ढ़ा खोदा जाता हैं। इसी गड्ढे को भरते हुए मिट्टी की दीवाल बनाई जाती हैं। दीवाल बनाने के लिए प्रायः मटासी मिट्टी का उपयोग किया जाता हैं। यह मिट्टी खेतों से लाई जाती हैं। मिट्टी से दीवाल बनाने के लिए मिट्टी को भी तैयार करना पड़ता हैं। मिट्टी तैयार करने का काम दीवाल बनाने से एक दिन पूर्व शाम से शुरू करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बड़े–बड़े ढेले को रापा (फावड़ा) से फोड़कर छोटा–छोटा टुकड़ा किया जाता हैं। तत्पश्चात् एक दिन के काम हेतु अनुमानित मिट्टी को समतल फैलाकर किनारे–किनारे को क्यारी जैसा ऊँचा किया जाता हैं। अब इसमें एक फीट पानी भरा जाता हैं। पानी भर मिट्टी को रात भर के लिए गिली होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह तक मिट्टी पानी को सोख कर अच्छी तरह भीग जाती हैं, अब इसमें पेरोसी (धान का भूसा) मिला कर पैरों से अच्छी तरह मताया (फेटा/मिलाया) जाता हैं। अब इस मिट्टी से गढ्ढे को पूरा भरते हुए दीवाल (भीट) तैयार किया जाता हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दीवाल तैयार होते तक अपनाई जाती हैं। सभी दीवालों की ऊंचाई समान रूप से उठाई जाती हैं, और एक बार में लगभग एक फीट तक कच्ची मिट्टी डाली जाती हैं। इसलिए दीवालों में एक–एक फीट की स्तर दिखाई देती हैं। दीवाल की चौड़ाई नीव से लेकर छत तक एक समान पायी गई जबकि मिट्टी के दीवालों में नीव चौड़ा और छत तक क्रमशः सकरी दीवाल बनाई जाती हैं। दीवालों में खिड़की या रोशन दान नहीं बनाते है। दीवाल 10–11 फीट ऊँची हो जाने पर कमरे की चौड़ाई अनुरूप दो दीवारों को जोड़ते हुए 10–12 फीट लम्बी गोल अथवा चौकोन लकड़ी दो–तीन फीट की दूरी पर रखी जाती है जिसे ''म्यार'' कहते हैं। म्यार के बीचो बीच एक खाचा बना होता हैं, जिससे 4–5 फीट लम्बी व गोल लकड़ी सीधे–सीधे खड़ा रखा जाता है। इसे 'सुला' माईखुंटा कहते हैं। इसके ऊपर घर के पूरे लम्बाई में एक अन्य लकड़ी रखते हैं। जिसे ''पाटी'' कहते हैं। पाटी से दोनों तरफ 2–2 फीट की दूरी पर 'काड़' बिछाई जाती है, जो दीवाल से 3 फीट बाहर निकली रहती हैं। यदि एक ही काड़ की लम्बाई पर्याप्त न हो तो बीच एक और पाटी रख कर दो–दो काड़ लगा कर लम्बाई पूरी की जाती हैं। काड़ के ऊपर बांस की कमची जिसे बत्ता कहते है। जिसे सधन रूप से कील की सहायता से बिछाई जाती हैं। कमची के ऊपर में 'खपरा' छाया जाता हैं। खपरा लोग स्वयं बनाते हैं। छत छाने की इस पूरी प्रक्रिया को 'गड़ावर' या छावन भी कहते हैं। जिसके लिए बढ़ई या कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, परछी में छत बनाने के लिए भी उपरोक्त प्रक्रिया दुहराई जाती हैं। इनकी परछी खुली ना होकर बंद होती हैं जिसके बीच में प्रवेश द्वार होता हैं। परछी की दीवाल की ऊचाई कमरे की दीवाल की ऊचाई से कम होती है। कमरे के परछी तरफ के दीवालों में 4–5 फीट की दूरी में लकड़ी की खाँच नुमा 'पुटी' लगी होती है जो

ऊपर से 3–4 फीट नीचे होती हैं। इस पुटी में पाटी रखी जाती हैं। बीच में म्यार की सहायता से पाटी रखते है। जिसे बीच पाटी कहते हैं। अब दोनों पाटी की सहायता से दीवाल के बाहर तक काड़ लगाकर बास की कमची बिछाकर खपरा छाते हैं। साथ ही शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हर घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

3.3 आवास विभाजन :-

नागवंशी जनजाति आवास हेतु अधिकांशतः दो कमरा और परछी का निर्माण करते हैं। प्रथम कमरे को ''भीतर घर, रांधाकुरिया व रंधनीघर, देवताकुरिया आदि नामों से पुकारते है। इसके एक किनारे में खाना बनाते हैं, जबकी दूसरे किनारे में कुल देवी–देवता स्थापित होता हैं। इस कमरे में नव दम्पत्ति या दो भाइयों में छोटे दम्पति विश्राम करते हैं। दूसरे कमरे में परिवार के अन्य सदस्य विश्राम करते हैं। भीतर कुरिया में स्वयं के गोत्र के अतिरिक्त अन्य गोत्र के सदस्यों का प्रवेश वर्जित होता हैं। इसी कारण इस कमरे में अविवाहित लड़किया आ सकती है परन्तु विवाह उपरान्त चूंकि उनका गोत्र बदल जाता है, इसलिए उनका प्रवेश मना होता हैं। दोनों कमरों के सामने तथा दूसरे कमरे के बाजू में बरामदा (परछी) होता हैं, जिसके एक किनारे में कोठा तथा दूसरे किनारे में पानी का घड़ा रखा होता है। शेष स्थानों को सोने, बैठने ,खाना खाने आदि कार्यो के लिए प्रयोग किया जाता हैं। अनाज रखने के लिए मिट्टी की दीवाल से बनी कोठी नही बनाई जाती बल्कि पैरा के बैंठ या बोड़ा (रस्सी जैसा) बनाकर गोल–गोल 'गुर्रा' (बड़ा आकार) या पुरी (छोटा आकार) बनाया जाता है। गुर्रा या पुरी परछी एवं भीतर अतिरिक्त किसी अन्य कमरे में बनाई जाती हैं।

3.4 घर की सजावट या आवास व्यवस्था :-

नागवंशी जनजाति के आवास स्वच्छ और सुन्दर दिखाई देते हैं। दीवारो को सफेद छुही से पोताई करते हैं लेकिन बाघ गोत्र वाले गोबर में पैरे को जलाकर प्राप्त काली राख को मिलाकर पोताई करते हैं। फर्स की पोताई प्रारंभ में गीली चिकनी मिट्टी से करते हैं। बाद में सप्ताह में एक बार गोबर से लिपाई करते हैं। खाना खाने के स्थान एवं चूल्हें को प्रतिदिन प्रातः गोबर से लिपाई करते हैं। बिना स्नान किये रंधनीघर में खाना नहीं बनाते हैं।

3.5 घर की स्वच्छता एवं सफाई :-

प्रातः उठकर परिवार की महिलाए पूरे घर की झाड़ू से सफाई करती हैं। सबसे पहले एक बाल्टी में पानी और गोबर का पतला घोल बनाकर द्वारों में छिड़क कर झाड़ू लगाती हैं। जिसे ''छारा छीटा'' भी कहते है। तत्पश्चात चूल्हे को गोबर से लिपती है, इसके बाद घर के सभी कमरों, परछी एवं आंगन को झाड़ू से बुहारती है। तत्पश्चात् पशु कोठे को सफाई करती हैं। गोबर को छेना (कंड़ा) बनाने के लिए अलग रखती हैं, तथा शेष कचरे को बाड़ी में स्थित एक नियत स्थान (घुरवा) में फेक देते हैं ।

घर में कुछ सामाजिक कार्य होने अथवा नवाखाई, पुसपुनी, गौंहापुनी (नागपुर्णिमा), दियारी, जैसे विशिष्ट त्यौहारों में दीवालों की पुताई की जाती हैं ।

3.6 व्यैक्तिक स्वच्छता :-

इनमें दैनिक कार्यो की शुरूवात प्रातः शौच जाने से होती है। पुरूष वर्ग बसाहट से दूर शौच के लिए निर्धारित तालाब के किनारे शौच करने जाते हैं, जबकी महिलाएँ बाल्टी में पानी लेकर आसपास के मैदान अथवा खेत में शौच हेतु जाती हैं। शौच पश्चात् हाथों की सफाई मिट्टी से किया जाता हैं। वर्तमान में कुछ लोग साबुन का भी उपयोग करते हैं।

महिला, पुरूष एवं बच्चे दाँतों की सफाई दातौन से करते हैं। बहुत कम लोग टूथ पेस्ट एवं ब्रश का उपयोग करते पाये गये। अधिकांश बड़े बच्चों, महिलाओं एवं पुरूषों में गुड़ाखू का प्रचलन भी देखा गया। पुरूष स्नान आदि के लिए निर्धारित तालाब अथवा हेण्डपम्प के पास दातौन करते हैं जबकी महिलाए प्रायः घर में ही दातौन कर लिया करती हैं। कुछ महिलाएँ दातौन करने तालाब जाती भी हैं तो नहाने के समय घर के सारे काम निपटाने के बाद प्रायः महिलाएँ सुबह पानी से कुल्ला कर अपने दैनिक कार्यों में जुट जाती हैं। नहाते समय शरीर पर साबुन का उपयोग करते पाया गया परन्तु इसकी आवृत्ति सप्ताह में दो–तीन दिन ही है बाल धोने के लिए चिकनी, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता हैं।

पुरूष मजदूरी या कृषि कार्य से लौटते ही नदी तालाब में नहाते हुए घर चले जाते हैं। स्नान के पश्चात शरीर पर डोरी का तेल, कोसम का तेल, सरसो का तेल, अलसी का तेल, जटगी का तेल को ''ढुड़वा'' में रखकर शरीर में लगाते है। नवजात शिशु व 1–2 वर्ष के बच्चों को प्रायः घर पर स्नान करा लिया जाता हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर पर नारियल या सरसों का तेल लगाया जाता हैं। कुछ महिलाएँ सौंदर्य प्रसाधन के अन्य समान जैसे टिकली, फुंदना, लाछा, फीता सिंदूर और पाउडर आदि भी लगाती हैं।

3.7 वस्त्र विन्यास :-

नागवंशी जनजाति में पुरूष, महिलाओं व बच्चों के वस्त्र विन्यास ग्राम की अन्य जनजातियों के समान ही हैं। उम्र लिंग अनुसार इनके वस्त्र निम्नलिखित होते हैं :–

(अ) पुरूषों के वस्त्र :-

(i) **बच्चे :-** नवजात शिशु को छठी से पूर्व तक पहले उपयोग किये गये गमछे, साड़ी या चादर के टुकड़े में लपेटा जाता हैं। छठी के बाद से छोटे नये कपड़े पहनाये जाते हैं। दो वर्ष के आयु के बच्चों को जांघिया और बण्डी पहनाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हाफ पेन्ट के साथ कमीज पहनाते हैं।

(ii) **व्यस्क :-** व्यस्क पुरूष पहले सफेद खादी का पांच मीटर लिंगरी या लंगोट पहनते थे, वर्तमान में मजदूर व कृषक पुरूष लुंगी, बनयाईन तथा कंधे में गमछा रखते हैं तथा यात्रा के दौरान फुलपेंट, कमीज, टी–शर्ट भी पहनते पाये गये ।

(iii) **वृद्ध व्यक्ति :-** वृद्ध व्यक्ति लिंगरी लंगोट अथवा सफेद धोती पहनते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले पुरूष सदस्य हरा, जामुनी मोटा धोती पहनते हैं, परन्तु नागवंशी जनजाति में सफेद धोती के अतिरिक्त अन्य रंग की धोती पहनना मना हैं।

(ब) स्त्रियों के वस्त्र :-

(I) **बच्चे :-** छोटी लड़कियों को फ्राक या कमीज–स्कर्ट पहनाया जाता हैं। स्कूली उम्र की लड़किया प्रायः

स्कर्ट कमीज का ही उपयोग करती हैं। वे लड़किया जो मिड़िल या हाई स्कूल में पढ़ने जाती हैं वे सलवार कमीज भी पहनती पायी गई। किशोर लड़किया लुंगरी और साड़ी पहनती हैं।

(ii) **व्यस्क** :- व्यस्क महिलायें छापासाड़ी, छिटासाड़ी, पोलका, ब्लाऊज एवं लुगरा पहनती हैं। लुगरा को करया साड़ी भी कहते है।

(iii) **वृद्ध महिलाये** :- वृद्ध महिलायें चौधा लुगा (14 हाथ लम्बी साड़ी) या बरहथी (12 हाथ लम्बी साड़ी) पहनती हैं। जिसे गांड़ा या महरा साड़ी भी कहते है।

नागवंशी महिला के पति की मृत्यु के पहचात् तीज नहावन के दिन से एक साल तक सफेद साड़ी पहनना पड़ता हैं। तत्पश्चात यदि वह चाहे तो अन्य रंग की प्लेन साड़ी पहन सकती हैं ।

(स) ओड़ने - बिछाने के कपड़े :-

नागवंशी जनजाति ओड़ने–बिछाने हेतु फटे–पुराने कपड़ो को पुरानी साड़ी के साथ सिलाई कर 'काथा' (गोदरी) बनाते हैं। जमीन में बिछाकर सोने या बैंठने के लिए खजूर व छिंद के पत्ते से बनी चटाई का उपयोग करते हैं जिसे घर की महिलाएं बनाती हैं।

ठण्ड के दिनों में जाड़ो से बचने के लिए मोटे कम्बल का उपयोग किया जाता हैं। आर्थिक स्थिति से सबल कुछ परिवारों में ओड़ने के लिए चादर (पिछोरा) का उपयोग भी करते पाया गया।

3.8 साज श्रृगार एवं आभूषण:-

स्नान के उपरांत महिलाएं नारियल तेल का उपयोग करते हैं, बालों में कंधा कर चोटी बनाती है। चोटी को रंगीन फीता या रबर से बांधती है। माथे में बिदियां, आँखों में काजल, हाथों में चूड़ी तथा मांग में सिंदूर सुहागन का परिचायक हैं।

उपरोक्त के अलावा महिलाओं के साज श्रृंगार की वस्तुएँ निम्नांकित हैं :–

महिलाओं के आभूषण

क्र.	आभूषण	उपयोग	धातु
1.	बनरिया काटा	कलाई	चाँदी
2.	ककनी–कंगन	हाथ	चाँदी
3.	बहुटा	भुजा	चाँदी
4.	सुता	गला	चाँदी

5.	हल्का	गला	सिक्का
6.	डार	कान	चाँदी
7.	चुरा	पैर	चाँदी
8	छटिया	पैर की अंगुली	कांस/चाँदी
9	चुटकी	पैर की अंगुली	कांस/चाँदी
10	पैरी	पैर	कांस/चाँदी
11	साटी	पैर	चाँदी
12	छपाही मुदी	हाथ की अंगुली	रूपया
13	लपेटा	हाथ	चांदी
14	लाछा–फुंदना	बाल	धागा, भेड़ के बाल
15	खोपा	जुड़ा	धागा
16	गुजरी	कलाई	चांदी
17	गठिया	कान	सोने
18	नंगमौरी	बाह	चांदी
19	बिछिया	पैरों की उंगली	चांदी

अविवाहित लड़कियां साप्ताहिक हाट–बजार से लाये गले में माला, कान में बाली, हाथ व पैर की अंगुली में मुंदी आदि पहनती हैं। नागवंशी लड़कियां नाक नही छेदाती बल्कि नाक में गोदना गोदाते हैं।

गोदना :-

नागवंशी जनजाति की महिलाओं में गोदना गुदवाने की प्रथा पायी गयी। नागवंशी महिलाएं शरीर के अधिकांश हिस्सों में गोदना गुदवाती हैं। पैरो में पाव से लेकर घुटने के नीचे तक, हाथ में हथेली से लेकर कोहनी के नीचे तक, भुजाओं में, छाती में, नाक में गोदना गुदवाया जाता हैं। नागवंशी महिलाओं में नाक छिदवाना मना हैं, जिसके स्थान में गोदना गुदवाने का प्रथा प्रचलित हैं। पहले जो लड़कियाँ नाक में गोदना नहीं गुदवाती थी उनकी विवाह भी नहीं होता था, वर्तमान में इस प्रथा की अनिवार्यता में शिथिलता पायी गई। शरीर के विभिन्न हिस्सों में गोदना गुदवाने की पीछे महिलाओं का अभिमत है कि गोदना स्त्रियों की स्थाई आभूषण हैं जो मृत्यु पश्चात् भी साथ रहता हैं। मरने पर सभी गहने अलग कर दिये जाते हैं, परन्तु गोदना ही

एक ऐसा आभूषण हैं, जिसको शरीर से अलग नही किया जा सकता। वर्तमान में महिलाएं हाथ–पैर में गोदना तो अवश्य गुदवाती हैं, परन्तु पहले की तुलना में छोटे–छोटे गोदना होती हैं। छाती में गोदना गुदवाना लगभग समाप्त हो गया हैं। यह केवल बुर्जुग महिलाओं में ही देखा गया।

गोदना गोदने का काम गोधारिन जो कि प्रायः देवार जाति की होती हैं करती हैं। गोदने के लिए प्रत्येक वर्ष शरद काल में गोधारिन गाँव में आती हैं। गोदना गोदने के लिए गोधारिन अपने साथ सुई और स्याही लेकर आती हैं। स्याही में सुई के नोक को बार–बार छुवा कर गोदने की आकृति अनुसार उसके शरीर में चुभाती जाती हैं। यह पुछने पर की इतनी पीड़ा सहकर भी वे गोदना क्यों गुदवाती हैं, उनका कहना हैं कि जो महिलाएं गोदना नहीं गुदवायें रहती हैं उनके आत्मा को मृत्यु के पश्चात् भगवान घर जाने से पहले रायराज के सैनिक साबर से गोदते हैं, जिसे आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा होती हैं। गोदना की आकृति सभी नागवंशी महिलाएं में एक जैसा ही पाया गया। ये आकृति गोधारिन खुद बनाती है। गोधारिनो को बताना नहीं पड़ता कि नागवंशी महिलाओं में कौन सी आकृति की गोदना गोदे। चूंकी गोधारिने पीढ़ी दर पीढ़ी गोदने गोदाने का काम ही करती आ रहीं हैं और ये नागवंशी जनजाति के अलावा उस क्षेत्र में रहने वाली अन्य जाति और जनजातियों की महिलाओं का भी गोदना गोदते है, अतः गोधरिनों को यह भली भाँति पता होता हैं कि कौन सी जाति जनजाति की महिलाओं में किस प्रकार की आकृति का गोदना गोदाने हैं, और यही वजह है कि एक जाति जनजाति की महिलाओं के गोदना मे समानता तथा दूसरे जाति जनजाति की महिलाओं की गोदना में असमानता पायी जाती है।

हालांकि नई पीढ़ी की लडकियाँ अपने इच्छा अनुरूप गोदना से अपना या पति का नाम या कुछ छोटी–छोटी अन्य आकृति भी बनवाने लगी हैं।

शरीर के विभिन्न हिस्से में गोदने की आकृति इस प्रकार है। पैर में गोदना गोदाने का कार्य छोटी ऊंगली के ठीक ऊपर से शुरू होता हैं। छोटे–अंगुली से अंगुठे तक सभी अंगुलियों की ठीक ऊपर छोटे–छोटे गोल चकते (बड़ी टिकली के बराबर) बनाये जाते हैं। बिन्दी के ऊपर तीन रेखा खीची जाती है। तीनों के ऊपर उल्टी त्रिभुज, पशु–पक्षी और मनुष्य की आकृति को अलग–अलग डिब्बे बनाकर बनाया जाता हैं। इन डिब्बों के ऊपर दो रेखा, रेखा के ऊपर आकृति, यह गोल बिन्दी छोटी ऊगली से एड़ी तक होते हुए अंगुठे तक बनायी जाती हैं। पीर्री एड़ी के ऊपर से पुनः बिंदी की एक कतार, उसके ऊपर तीन रेखा, रेखा के ऊपर उपरोक्त बताये अनुसार आकृति के और दो लहरदार रेखा, पुनः आकृति तत्पश्चात् बिंदी। यह आकृति पैर की पुरी गोलाई में घुटने से थोड़ा नीचे तक बनाया जाता हैं। इसी प्रकार हाथ में भी हथेली के पीछे कोहनी तक, और भुजाओं में उपरोक्त आकृति बनायी जाती है। नाक में जीन बिंदी बनायी जाती हैं˙ छाती में गदर्न के नीचे दोनों कधों को मिलाते हुए चार रेखा, रेखा के नीचे खड़े बच्चे का चित्र पुनः एक रेखा, गोल बिंदी, थोड़ा अन्तराल के बाद पुनः बिंदी बनाई जाती हैं। गोदना तीन प्रकार हाथी छाप, फुलवारी छाप, व अपनी इच्छा अनुसार गुदवाते थे। सब का अलग अलग किमत देना पड़ता था।

3.9 घरेलू उपकरण :-

दैनिक क्रिया–कलापो को संपादित करने के लिए नागवंशी जनजाति के प्रत्येक घरों में निम्नालिखित उपकरण पाये जाते हैं :–

क्र.	घरेलू उपकरण	उपयोग	निर्मित वस्तु
1	घड़ा / गगरी	पानी भरने के लिए	मिट्टी, पीतल
2	हड़िया / हांडी	भात बनाने के लिए	मिट्टी
3	कड़ाही / कलौंजा	सब्जी बनाने के लिए	एल्युमिनियम
4	परई	ढकने के लिए	मिट्टी, एल्युमिनियम
5	तवा	रोटी सेकने के लिए	लोहा
6	दिया	रौशनी हेतु	मिट्टी
7	करछुल / चम्मच	सब्जी खोने के लिए	एल्युमिनियम, स्टील
8	लोटा / थाली / ग्लास	खाने–पीने के लिए	स्टील, कांसा
9	परसुल	सब्जी काटने के लिए	लोहा
10	सुपा	चांवल चुनने के लिए	बांस
11	टुकनी	समान रखने के लिए	बांस
12	ढेकी	धान कूटने के लिए	लकड़ी, लोहा
13	बहना / मूसल	कूटने के लिए	लकड़ी
14	जाता	अनाज पीसने के लिए	पत्थर एवं लकड़ी
15	सील–लोड़हा	मसाला पीसने के लिए	पत्थर
16	चटाई	बैठने के लिए	छिंद पत्ता
17	झाड़ू	साफ करने लिए	जंगली घास

3.10 कृषि उपकरण :-

नागवंशी जनजाति के अधिकांश परिवार लघु कृषक हैं, जिनके पास कम कृषि भूमि हैं, जिनमें मुख्यतः टमाटर की खेती की जाती हैं। इसके अतिरिक्त धान, कुलथी, अरहर, मुंगफली आदि भी उगाये जाते हैं। कृषि इनके अर्धव्यवस्था की रीढ़ हैं, परन्तु अर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होने के कारण सीमित व पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से ही कृषि कार्य करते हैं। इनके पास पाये जाने वाले कृषि उपकरण निम्नांकित हैं :–

क्र.	कृषि उपकरण	उपयोग	निर्मित वस्तु	निर्माण
1	नांगर (पुछिया, मुड़ि)	भूमि जुताई हेतु	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित, बढ़ई
2	जुड़ा	बैल जोतने हेतु	लकड़ी	स्वनिर्मित, बढ़ई
3	कोपर	मिट्टी समतल करने	लकड़ी	स्वनिर्मित, बढ़ई
4	रापा (कोड़ी)	मिट्टी खोदाई, उठाई	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
5	गैती	मेड़ खोदने, गहरी खुदाई	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
6	गेड़वा	धान के बीड़ा ढोने	लकड़ी	स्वनिर्मित
7	कुदारी	सब्जी खेत मे कोड़ाई	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
8	साबर	गहरी खुदाई, गड्ढा करने	लोहा	बाजार, लोहार
9	पाटा	भूमि समतल	लकड़ी	स्वनिर्मित
10	कुर्री	सुखा/गिला मिट्टी खीचने	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
11	रेगड़ी	गिला मिट्टी खीचने	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
12	गाड़ी	धान लाने ले जाने	लकड़ी, लोहा	बढ़ई
13	टंगली (कुल्हाड़ी)	छोटाक पेड़ काटने दातौन काटने	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
14	टांगा	बड़ा पेड़ काटने	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
15	हेसुवा (हंसिया)	फसल काटने	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार
16	गेरूवा	कांवर की रस्सी	रस्सी	स्वनिर्मित बाजार
17	झउहा	कचड़ा फेकने, कांवर हेतु	बास	बाजार
18	बहिंगा	कांवर उठाने	लकड़ी	स्वनिर्मित
19	सिका	कांवर की रस्सी	रस्सी	स्वनिर्मित, बाजार
20	सुजगेर बहिंगा	धान लाने	लकड़ी	स्वनिर्मित
21	सिहरी	धान लाने	बांस	स्वनिर्मित
22	पुरी	धान रखने के लिए	बांस	बसोड़
23	पुटा	धान रखने के लिए	बांस	बसोड़
24	टेकी	धान रखने के लिए	बांस	बसोड़
25	कलारी	पैरा उड़ाने के लिए	लकड़ी, लोहा	बाजार, लोहार

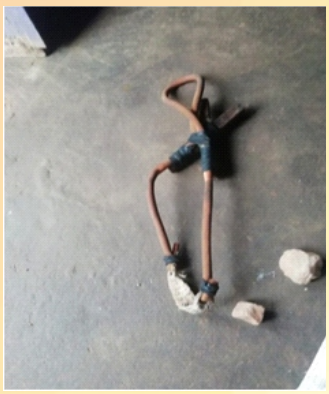

3.11 शिकार उपकरण :-

शिकार पर प्रतिबंध के कारण नागवंशी जनजाति में शिकार करना वर्तमान में नहीं पाया गया। फसल की रक्षा करने व मनोरंजन के उद्देश्य से छोटे पशु–पक्षियों का शिकार किया जाता हैं। साथ ही वर्षा काल में मतस्य आखेट भी करते हैं। नागवंशी जनजाति निम्नलिखित पशु–पक्षी का शिकार करते थे :–

पशु -

1.	खरहा	–	खरगोश
2.	कोटरी	–	हिरण से छोटा प्रजाति
3.	बरहा	–	जंगली सुअर

पक्षी -

1.	मंजुर	–	मयूर
2.	बनखुखरी	–	जंगली मुर्गा
3.	पेडुक	–	पड़की (कबुतर जैसा
4.	हेरला	–	पेडुक से बड़ा
5.	गुंडरू	–	तितर से छोटा
6.	जुहा	–	गुरू जैसा
7.	छंछाद	–	बाज पक्षी का छोटा रूप
8.	परेवा	–	कबूतर
9.	सुगा	–	तोता
10.	मयना	–	मैना
11.	घाघर	–	छोटे बटेर
12.	तीतर	–	तीतर
13.	हुंकरा	–	लावा
14.	खैंहा	–	जंगली पक्षी जो झुड में रहते है।
15.	पेनबुड़ी	–	पानी वाला पक्षी

क्र.	शिकार उपकरण	उपयोग	निर्माण
1.	धनु (धनुष), बाण	बड़े जानवर मछली मारने	बांस
2	थोपा	छोटे जानवर	बांस एवं लोहा
3	ठोरी	पक्षी मारने	लोहे
4.	गुलेल	पक्षी मारने	लकड़ी व रबड
4	अठगोड़िया	मछली पकड़ने	तांत, बांस
5	फेका (जाल)	मछली पकड़ने	तांत
6	गरी या बंशी	मछली पकड़ने	तांत, बांस
7	बिसरा	मछली पकड़ने	बांस
8	कुमनी	मछली पकड़ने	बांस
9	सिरसोला	मछली पकड़ने	तांत, बांस एवं सिरकी
10	चपकन (लासा)	पक्षी फसाने	बांस, लासा (गोंद)
11	चियार	पक्षी मारने	लोहे
12.	सुंती	मछली मारने के लिए	लोहे एवं धागा
13.	झुमर	मछली मारने के लिए	लोहे
14.	क्षापा	मछली पकड़ने के लिए	बांस
15.	गिराजाल	मछली पकड़ने के लिए	लकड़ी या बांस व तांत
16	टेड़ाजाल	मछली पकड़ने के लिए	बांस और तांत

3.12 सगीत उपकरण :-

जनजाति और गीत–संगीत एक दूसरे के पूरक हैं। हर छोटे बड़े अवसरों तीज त्यौहार आदि में लोक गीत गाने एवं वाद्य–यंत्र बजाये जाते हैं। ये वाध–यंत्र लकड़ी एवं चमड़े के बने होते है, जिसमें मादर, ढ़ोलकी नगाड़ा, बासूरी आदि शामिल है।

3.13 आग जलाने के उपकरण :-

आग जलाने के उपकरण को नागवंशी जनजाति में ''अगसिरा'' कहते थे, जिसका प्रचलन वर्तमान में नहीं पाया गया। एक बड़ी लकड़ी के बीच

में छेद करके उसमें दूसरे लकड़ी के पतले एवं मजबूत टहनी के जोर–जोर से घुमाया जाता था । जिससे आग उत्पन्न होती थी।

3.14 आवागमन के साधन :-

नागवंशी जनजाति निवासरत अधिकांश ग्राम सड़क संपर्क से जुड़ गये हैं। कुछ–कुछ ग्रामों में पक्की सड़क भी पायी गई, परन्तु इन ग्रामों तक बस का आवागमन बहुत ही कम हैं। अतः दैनिक उपयोग की वस्तुएँ खरीदने बजार–घाट जाने के लिए अधिकांश परिवार पैदल ही जाते हैं। कुछ लोग वाहन का उपयोग करने लगे हैं। अधिक दूरी की यात्रा करने, चिकित्सा हेतु शहर जाने आदि के लिए उपलब्धता अनुसार बस, ट्रक, सायकल, मोटर सायकल, जीप आदि का भी उपयोग वर्तमान में करने लगे हैं।

3.15 भोजन :-

नागवंशी जनजाति प्रातः बासी खाते है। दोपहर में भी बासी या भात खाते हैं। रात में भात खाते हैं।

(अ) दैनिक भोजन :-

दैनिक भोजन में भात, साग या दाल उपलब्धता अनुसार बनायी जाती है। कई बार सब्जी व दाल के अभाव में भात व बासी को टमाटर, मिर्च के चटनी के साथ भी खाते हैं।

मौसमी साग–सब्जियों के दौरान बाड़ी आदि में उगाई गई साग–भाजी का उपयोग करते है। साग भाजी, टमाटर, पुटु आदि को सुखाकर 'सुकटी' या गुंड़ा बनाते हैं जो बरसात या अन्य दिनों में सब्जी बनाकर खाया जाता हैं।

(ब) मांसाहार :-

मांसाहार भोजन नियमित नहीं किया जाता हैं। उपलब्धता अनुसार व अतिथि आदि के आने पर या कभी–कभी साप्ताहिक हाट–बाजार के दिन इसका सेवन किया जाता हैं।

(स) दूध मिठाईया :-

दूध का सेवन प्रायः घर में गाय की उपलब्धता अनुसार चाय आदि बनाकर किया जाता हैं। मिठाईया त्यौहार, हाट–बाजार के दिन या विशेष अवसरों पर खरीदा जाता हैं।

(द) मद्यपान/तम्बाकू :-

मद्यपान का सेवन बहुत कम लोगों द्वारा नियमित रूप से करते पाया गया। अधिकांश लोग विशेष अवसरों जैसे–त्यौहार या मेहमान आने जाने पर ही मद्यपान करते हैं। इनमें गुड़ाखू का प्रयोग विशेषकर महिलाओं में अधिक करते पाया गया है। पुरूष व वृद्धजन तंबाखू व बीड़ी का सेवन करते हैं।

❑❑❑❑

अध्याय - 4 आर्थिक जीवन

4.1 सम्पत्ति :-

नागवंशी जनजाति में सम्पत्ति की आवधारणा निम्नांकित पायी जाती हैं –

(अ) चल सम्पत्ति

(ब) अचल सम्पत्ति

(अ) चल सम्पत्ति :- पशु, गहना, नगद राशि, घरेलु वस्तुएँ आदि के चल सम्पत्ति मानते हैं, जो अस्थिर होती हैं व एक स्थान से दुसरे स्थान ले जाया जा सकता हैं।

(ब) अचल सम्पत्ति :- इसके अंतर्गत आवास कृषि भूमि, वृक्ष आदि को रखा जाता हैं, जो स्थिर होता हैं।

4.2 संपत्ति हस्तांतरण :-

नागवंशी जनजाति में पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण सत्ता या सम्पत्ति उत्तराधिकारी पिता द्वारा अपने पुत्रों को दिया जाता हैं। पिता द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का अधिकार होता हैं। सम्पत्ति वितरण में नागवंशी जनजाति में सबसे बड़े पुत्र को अन्य पुत्रों की तुलना में कुछ अधिक संपत्ति दिया जाता हैं। जिसे टीकोसी कहते हैं। नागवंशी जनजाति स्वीकार करता हैं की बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई–बहनों की परवरिस, शिक्षा, विवाह आदि में पिता के साथ सहयोग करता है। संपत्ति वितरण की इस प्रक्रिया से छोटे भाई भी संतुष्ट होते हैं, तथा उसे सामाजिक नियम मानकर भी पालन करते हैं। पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का अधिकार सामान्यतः नहीं पाया जाता है। विशेष परिस्थिति में जब पिता की कोई भी पुत्र ना हो और केवल पुत्री हो तो उस परिस्थिति में पुत्री को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है।

यदि किसी दम्पत्ति की कोई भी संतान न हो तो वह अपने भाई के पुत्र को सम्पत्ति हस्तांतरण करता है। गोद लेने की परिस्थिति में गोद लिए पुत्र के सम्पत्ति हस्तांतरित किया जाता हैं।

4.3 प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय :-

नागवंशी जनजाति में अर्थोपार्जन का प्रमुख स्त्रोत कृषि एवं मजदूरी हैं। सर्वेक्षित क्षेत्र (पत्थलगांव एवं लैलुंगा विकास खण्ड) टमाटर की खेती के लिए राज्य में प्रसिद्ध हैं। नागवंशी जनजाति वर्ष भर टमाटर की खेती करते हैं। इस कार्य हेतु इन्हे श्रम शक्ति की भी जरूरत पड़ती हैं जिसके लिए नागवंशी जनजाति मजदुरी के बजाये एक–दूसरे के सहायता करते हुए काम करने को प्राथमिकता देते हैं। सहायता या साझा का इनमें दो स्वरूप पाया जाता हैं। एक को 'मदेद' (मदद) कहते हैं। सहायता के इस रूप में दो परिवार एक दुसरे के कामों में मदद करते हैं। मदेद करने वाले को हड़िया पिलाया जाता हैं एवं खाना खिलाया जाता हैं। सहायता के दुसरे स्वरूप को 'पंचा' या 'साहा' कहते हैं। 'पंचा या साहा' 15–20 युवाओं का समुह होता हैं जो दिन निश्चित कर प्रत्येक सप्ताह उस दिन समुह में से एक सदस्य का मदद करते है। अगले सप्ताह फिर दुसरे सदस्य का मदद करेगें। यह प्रक्रिया समुह के सभी सदस्यों के लिए अपनाई जाती हैं। पंचा या साहा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जब पुरा समुह एक साथ काम करते हैं। तो परिवार कि बड़ी–बड़ी काम जो

प्रायः अकेले में नहीं होता, आसानी से पुर्ण हो जाता हैं। जैसे बाड़ी का दिवाल उठाना, खेत में 'पार' या समतलीकरण करना। पेड़ काटकर लाना आदि।

'पचा या साहा' में किसी भी सदस्य पर भार भी नहीं पड़ता और जरूरत की पूर्ति हो जाती हैं, क्योंकि इस विधि में ना तो किसी को रूपए–पैसे देने पड़ते हैं और ना ही खाना या हड़िया खिलाना पडता हैं बल्कि काम करने वाले सभी सदस्य अपने–अपने घरों से खाना खाकर काम करने आते हैं।

आय की मुख्य निरर्भता के आधार पर नागवंशी के जनजाति के अर्थोपार्जन के स्त्रोतों को प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय के रूप में बाँटा जा सकता है।

4.4 अर्थिक संरचना :-

नागवंशी परिवार मुख्यतः कृषि कार्य धान, टमाटर, उड़द, अरहर, कुटकी, मड़िया, बाजरा, ज्वार, कुलथी, मूंगफली, तिल आदि की खेती करते है। वनोपज संकलन केवल घरेलु उपयोग के लिए करते हैं। इसी प्रकार मजदुरी, शिकार, मतस्य आखेट या नौकरी आदि में इसकी सहभागिता और अर्थोपार्जन बहुत ही कम पाया गया।

(अ) कृषि :-

कृषि भूमि वितरण :-

नागवंशी परिवारों में लघु जोत कृषि भूमि होते हुए भी इनके वितरण में बहुत अधिक असमानता नहीं पायी गई। इसका प्रमुख कारण हैं कि वर्तमान में निवासरत परिवार सीमित पूर्वजों के वंशज है जिनके पास बड़ी जोत की कृषि भूमि थी, जो क्रमशः बटवारा होते गया, इसलिए अधिकांश परिवारों की कृषि भूमि समान मात्रा में है।

3. **मुख्य फसल** :- नागवंशी जनजाति का मुख्य फसल धान, टमाटर, कुलथी, उरद, अरहर आदि है।

4. **कृषि विधि** :- नागवंशी जनजाति पारंपरिक विधि से कृषि करते हैं। बहुत कम लोग ही कृषि के लिए आधुनिक विधि जैसे – ट्रेक्टर से जुताई, या रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग करते हैं । प्रमुख फसलों की कृषि विधि क्रमशः इस प्रकार हैं –

(ब) धान :-

धान बोने का कार्य वैसे तो आषाढ़ (जुन के अंतिम सप्ताह या जुलाई) में किया जाता हैं लेकिन कृषि कार्य की तैयारी दो–तीन माह पहले से ही शुरू हो जाती हैं, माघ–फागुन में यदि हल चलाने लायक वर्षा हो जाय तो किसान उस समय खेतों में हल चलाकर छोड़ देते हैं जिसे 'अकरासी' कहते हैं। चैत व

बैसाख में गोबर की खाद को बैल गाड़ी द्वारा खेतों में पहुचया जाता हैं। खेतों में खाद को एक जगह से न रखकर पूरे खेत में छोटे–छोटे ढेरी (गाड़ा) बनाकर रखते है। खाद यदि अकरासी जुते हुए खेत में डाला गया हैं तो ढेरी को जुताई के दौरान निकले ढेले से ढक दिया जाता है। जिससे खाद की उर्वरता बनी रहें । आषाढ़ माह में बोनी से पहले जुताई करते समय इस खाद को 'रापा' (फावड़ा) व झाहू (झाऊहा) से पूरे खेतों में फैला दिया जाता हैं। तत्पश्चात् नांगर से खेत की लम्बाई अनुसार जुताई किया जाता हैं। खेत की लम्बाई अनुसार जुताई किया जाता हैं।

खेत की लम्बाई में जुताई हो जाने पर उसमें धान बीज छिड़कते हैं। धान छिड़कने का कार्य ज्यादातर पुरूष करते हैं। जरूरत पड़ने पर महिलाएँ भी कर सकती है। धान की छिड़काई हो जाने पर पुनः खेत की जुताई चौड़ाई अनुरूप किया जाता है। बोने के इस प्रकार की ''खुर्रा–बौग'' (सुखा बोनी) कहते हैं।

किसान अधिकतर 'खुर्रा–बौग' ही करना पसंद करते है क्योकि यह बोनी की सबसे सुविधाजनक एवं कम खर्चीली विधि हैं। लेकिन खुर्री बौग करना किसान के हाथ में नहीं होता हैं बल्कि उस वर्ष होने वाली मानसूनी वर्षा के प्रकृति पर निर्भर करती है। बरसात के शुरूवात में सिर्फ इतना पानी गिरे जिससे हल चलाते बन जाय और कम से कम 8–10 दिन बरसात न हो या इतना कम पानी गिरे की खेत में पानी इकट्ठा न हो तभी खुर्रा–बौग कर सकते हैं जैसे एकात वर्ष को छोड़कर प्रायः सभी वर्ष किसानों को मानसुन आने के पश्चात् 10–15 दिन बौग करने के लिए मिल ही जाता हैं। परन्तु कोई वर्ष ऐसा हो जाता है, बरसात की शुरूवात में ही पानी इतना अधिक गिर जाता हैं कि सभी खेतों में पानी भर जाता है। और एक–दो दिन में पानी गिरता ही रहता हैं। तो इस स्थिति में बोनी को एक अन्य विधि जिसे कोई या बतरहा करते है इस विधि से बोनी करते हैं। 'बतर' का अर्थ होता हैं। अवसर या मौका अर्थात् प्रत्येक दिन बारिस होते रहने पर किसान बतर देखता है कि कब छोड़ा बरसात कम हो तो उस समय बोवई करें। इसी को बतरहा बोनी भी कहते हैं। खेतो में मिट्टी को अच्छी तरह जोत –कोपर कर किचड़ तैयार किया जाता हैं जिसे स्थानीय बोली में लेई कहते हैं। अतः इस विधि से किये जाने वाले बोनी को लेई बोनी कहते हैं।

बतरकी या लेई बोनी में हल्के पानी भरे खेतों में दो–तीन चार हल चलाकर घुटने से ऊपर तक पानी भर कर तीन–चार दिन तक छोड़ देते है। जिससे बरसात के बाद उस घास–फुस, करगा अदि सड़ जाते हैं। तत्पश्चात् खेत को कोपर चलाकर अच्छी तरह मताया जाता है एवं समतल किया जाता है। मतनि से मिट्टी में जड़ो के लिए पकड़ आती है । इसी प्रकार खेतो को अच्छी तरह समतल करना इसलिए आवश्यक है, ताकि खेत में कहीं भी पानी न रूके। अंकुरित बीज डालने के बाद खेतो में पानी भर जाने से बीज सड़ जाते हैं। इसलिए खेतों में हलके उथले नाली भी बनायी जाती है। जिससे पानी कहीं भी न रूके। अब इसमें अंकुरित बीजों की छिड़काई कर दी जाती हैं।

खेत तैयार करने के दौरान घर में बोनी के लिए आवयश्क धान की मात्रा को मिट्टी या जर्मन की बर्तन में पानी भर कर रात भर भीगो कर रखा जाता हैं। सुबह पानी से निकालकर जमीन में 'सनीया बोरी' फेलाकर उसके ऊपर धान को फैलाकर पैरा और बोरी से ढक दिया जाता हैं। इसे सुबह शाम पानी से गिला करते रहते हैं। इससे दो तीन दिन में धान अंकुरित हो जाती हैं।

खुर्रा बोनी और लेई बोनी की अपनी अलग–अलग विशेषता है। खुर्रा बोनी जहाँ सुविधाजनक हैं, धान सड़ने का डर नही रहता तो लेई बोनो में पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता हैं और खरपतवर कम होता हैं। बोनी के ये दोने ही विधि पारंपरिक हैं।

वर्तमान में बोनी की एक अन्य विधि भी प्रचलित हैं जिसे ''रोपा बोनी'' कहते हैं। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर बड़े किसान ही करते हैं। क्योकि अपेक्षाकृत इसमें खर्चा अधिक लगता हैं। हालाकि इस विधि से कृषि करने से खरपतवार कम उगते हैं और पैदावार अच्छी होती हैं।

बोनी के रोपा विधि में पूरे खेत के लिए धान का 'थरहा खेत के एक कोने में लगाया जाता है। थरहा लगाने के लिए खेत के एक कोने के दो–तीन बार हल चलाकर बीज छिड़का जाता है और ऊपर से हल्का कोपर चलाया जाता हैं। 21 दिन में थरहा खेतों में रोपाई हेतु तैयार हो जाता हैं कि खेतो में बारिस भी इतना

अधिक हो जाता है कि खेतों पानी भर जाता है। तब खेतों में उपरोक्तानुसार कीचड़ सना कर इसमें थरहा रोप दिया जाता हैं ।

धान की व्यासी :- खुर्रा बौग या लेई बोनी से की गई खेती को श्रावण या भादो में जब पौधे की लम्बाई करीब 1 या डेढ़ फीट होती हैं। उस समय खेतों में पानी भर कर हल चलाया जाता हैं। हल चलाकर 2 फीट पानी भर देते हैं। शेष बचे खरपतवार को महिलाएँ निदाई कर बाहर निकाल देती हैं। सड़े हुए खरपतवार को पैर से दबा देती है। यह खेतों में सड़कर खाद का काम करता हैं। इससे धान अच्छी तरह बढ़ने लगता है। 2 माह बाद पुनः खेतों में निदाई किया जाता हैं। क्वार माह में करगा (एक प्रकार की धान जैसा खरपवार) को निकाला जाता है।

धान की कटाई :- कार्तिक व अगहन माह में धान की फसल पक कर तैयार हो जाती हैं। धान को घर लाने से पहले कोठार को रापा से छोलकर (घास को छोलकर) गोबर से लिपाई करते हैं। खेत में धूप अगरबत्ती जलाकर नारियल फोड़ा जाता हैं या मुर्गा की बलि देते है। फिर हसिये से पाँच मुट्ठी फसल काट कर अलग रखते हैं। तत्पश्चात् पुरे फसल की कटाई की जाती है। कटाई के बाद 3–4 दिन तक पौधा को सुखने के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात् बैल गाड़ी, कावर, या मुड़ बोझा आदि से फसल को ढोकर कोठार में लाकर खरही बनाते हैं।

मिंजाई :- अगहन माह में धान की मिंजाई करते हैं। मिंजाई करने के लिए कोठार के बीच में एक खुटा गाड़ देते हैं जिससे लम्बी रस्सी बाँध कर 6–7 गाय–बैल को बाँध दिया जाता हैं। रस्सी के पुरे लम्बाई तक खरही के धान को फैलाकर पशुओं से खुंदवाया जाता हैं। तीन चार बार पैरा को कलारी से अलग कर पुनः पशु से खुदवाया जाता हैं प्रतिदिन भोर में 3–4 दिन बजे से पशु चलाने शुरू कर सुबह 8–9 बजे तक पुरा पैरा फेक दिया जाता हैं। मिंजाई को इस विधि को दंवरी विधि कहते हैं।

हाल के कुछ वर्षो से मिंसाई के लिए 'बेलन' भी प्रयोग किया जाने लगा है। बेलन 5–6 फीट लम्बी लकड़ी का बेलना कार टुकड़ा होता हैं। पैरा और धान की अलग कर लेने के पश्चात् धान को एक जगह इकट्टा कर ढ़ेर बनाया जाता हैं। इसे सुपा से हवा की दिशा में उड़ाकर भुसा को अलग किया जाता हैं। सुपा से गिराने के पश्चात् पुरूष सुपा को विशेष तकनीक से जोर–जोर से चलाते हैं जिससे बड़े–बड़े भूसे भी धान से अलग हो जाता हैं। इसे 'धान धूकना' कहते है। इसके पश्चात् धान को घर में लाया जाता हैं।

धान का संग्रहण :- धान संग्रहण करने के लिए नागवंशी जनजाति कोठी नहीं बनाते हैं। ये बसोड़ से बास की कामची से बड़े–बड़े बर्तन बनवाते है। जिसका अलग–अलग नाम हैं। धान ढोने के बर्तन को डाली, धान रखने के छोटे बर्तन को टेकी, बड़े बर्तन का पुटा कहते हैं। ज्यादा धान होने पर पुरी या गुर्रा बनाकर धान रखते है। पुरी या गुर्रा बनाने के लिए पैरे की मोटी रस्सी (वेत) तैयार कर गोल लपेट कर उसमें धान को भरा जाता हैं।

टमाटर की खेती :- सर्वेक्षित क्षेत्र में नागवंशी परिवार मुख्यतः टमाटर की खेती करते है। टमाटर की खेती ढलान जमीन, भाग, टिकरा में किया जाता हैं। टमाटर की खेती जनवरी माह से शुरू करते है। भठा–टिकरा जमीन को हल से जोतकर छोटी–छोटी क्यारी बना लेते है। ढ़ेले को रापा से फोड़ लेते हैं एवं छोटी कुदाल से 1 फीट

की दूरी पर 3–4 इंच गड्ढ़ा बनाते हैं। इस गड़ढ़े में थोड़ा–थोड़ा पानी डालकर टमाटर के थरहा को रोपते हैं। एक सप्ताह तक सुबह–शाम पौधे को पानी दिया जाता है। तत्पश्चात् पूरे खेत को 10–12 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहते है। टमाटर की खेत में पानी इकट्ठा नही होना चाहिए अन्यथा फसल सड़ जाती है, इसलिए यहां कि भूमि उपयुक्त है क्योंकि ये भूमि ढलान युक्त है जिसे अचानक होने वाले वर्षा से भी खेतों में पानी जमा नहीं होता हैं। रोपाई से पहले टमाटर का थरहा तैयार किया जाता है। 250 ग्राम बीज के थरहा से एक एकड़ में रोपाई हो जाती है। टमाटर की फसल तीन माह में फल लगकर तैयार हो जाती है और एक एकड़ की फसल में प्रत्येक सप्ताह 30–40 किलो टमाटर का उत्पादन होने लगता है। एक पौधे से 8–10 सप्ताह तक फल तोड़ा जाता है। तत्पश्चात् पुनः नये पौधे लगाए जाते हैं। यह प्रक्रिया साल भर तक चलती रहती है। टमाटर को तोड़कर निकटरस्थ बजारों में बेच दिया जाता है।

कुलथी :- जिसे हिरवा के नाम से जाना जाता है। नागवंशी जनजाति की समाजिक आवश्यकता है। किसी भी समाजिक भोज (जैसे–जन्म विवाह, मृत्यू आदि) में कुलथी से बना दाल खिलाना आवश्यक है। कुलथी का समाजिक भोज में प्रचलन के सबंध में उनका अभिमत है कि एक तो कुलथी अपने आप में ही स्वदिष्ट होता है साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के मिर्च मशाला डालने की आवश्यकता नहीं होती और दूसरी तरफ कुलथी के दाल में चाहे जितना भी पानी डालते जाव उसकी स्वाद जस के तस बनी रहती है। कभी–कभी खाना खाते समय आधा लोगों के खाना खा लेने के पश्चात्, ही दाल का पानी समाप्त हो जाता है, इस स्थिति में बचे हुए दाल में ही पानी डालकर पकाते रहते हैं और सभी मेहमानों को खिलाते रहते हैं।

कुलथी की खेती टिकरा भूमि में की जाती है, भूमि को बरसात समाप्त होने पर मिट्टी में 'ओल' आने पर जोतकर बीज छिड़क दिया जाता है। बीज छिड़कने का कार्य प्रायः भादों माह में किया जाता है। अगहन तक फसल तैयार हो जाती है। इसे काटकर आंगन में रखा जाता है जिसे लकड़ी से पीटकर दाने अलग कर लेते हैं।

उड़द (उरिद) :- उड़द भी टिकरा भूमि में उगाया जाता है। टिकरा भूमि को अकरस जुताई कर बीज का छिडकाव किया जाता है। बीज–बीच में खरपतवार को निकाल दिया जाता है। यह फसल सावन –भादो से लेकर कार्तिक माह के अन्त तक तैयार हो जाती है जिसे खलिहान में लाकर पीटकर बीजों को अलग कर लेते हैं। फसल अधिक होने पर दवरी विधि से मिंजाई करते हैं।

अरहर :- अरहर (राहर) की खेती जुलाई और दिसम्बर के बीच में किया जात है। यह फसल खेतों की मेड़ पर बाड़ी एवं टिकरा भूमि में उगाई जाती है। टिकरा, बाड़ी की जुताई कर बीज बोया जाता है। फसल पकने पर काटकर आंगन में सुखाया जाता है। सुख जाने पर लकड़ी से पीटकर दानों को अलग कर लेते हैं।

मूंगफली :- मूंगफली की खेती जून से अक्टूबर माह में किया जाता है। बाड़ी या अन्य टिकरा भूमि की जुताई कर छोटे–छोटे क्यारी बनाई बनाई जाती है। क्यारी एक–एक फीट ऊँची 'गार' खीचीं जाती है जिसमें 1/2 फीट की दूरी में दो–दो बीज लकड़ी या ऊंगली से गड्ढा कर डाल दिया जाता है तत्पश्चात् मिट्टी से बीजों को ढक दिया जाता है। सुबह–शाम बालटी या डिब्बा से हल्का सिंचाई किया जाता है। एक सप्ताह बाद पूरे खेत में सिंचाई किया जाता है। बीज से पौधा बनते तक चिड़ियों को भगाना पड़ता है। इसके लिए डिब्बा को

पीटकर जोर–जोर से आवाज करते हैं। फसल तैयार हो जाने पर पौधे को कोड़ई कर अलग किया जाता है जिसे घर में लाकर फली को तोड़ लेते हैं।

(5) वनोपज :- सर्वेक्षित क्षेत्र में नागवंशी जनजाति परिवार को वनोपज से फसल में संलग्नता पायी गई। इस का मुख्य कारण संबधित क्षेत्र में वनोपज की कमी एवं कृषि कार्य में वर्ष पर्यन्त व्यस्त रहना। फिर भी घर की बुजुर्ग सदस्य एवं बच्चे घरेलु उपयोग हेतु वनोपज संकलन करते पाये गये। वनोपज में मुख्यतः महुआ,

डोरी, चार, आंवला, तेन्दु, कोसम, गोंद, तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, बहेरा कंदमूल फलफूल सरई, सरई पत्ता, सिहार पत्ता का संकलन करते हैं। इसके अतिरिक्त वनों से ईधन पशुओं के लिए चारा, इमली, गोंद, आम, फल–फूल भी स्वय को उपयोग के लिए संग्रह करते है।

(अ) मजदूरी :- नागवंशी जनजति के महिला एवं पुरूष दोनों सदस्य वर्ष पर्यन्त अपने–अपने घरों के कृषि कार्य में ही व्यस्त रहते हैं जिनके वजह से मजदूरी कार्य में इनकी संलग्नता बहुत ही कम होती है। आवश्यकता अनुरूप ये मजदूरी के स्थान पर एक–दूसरे की सहायता करते हैं, जो परिवार मजदूरी करते हैं उनमें पुरूषों को 5

तामी (5.2 किलों) धान या 40 रूपये मजदूरी दी जाती हैं। सरकारी कार्यों जैसे सड़क बनाना, तालाब गहरी करण, तेंदूपत्ता संग्रहण आदि के लिए महिला एवं पुरूष दोनों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दर में मजदूरी प्राप्त होती है।

(ब) पशुपालन :- नागवंशी जनजाति भी वर्तमान में कृषि कार्य, मजदूरी, वनोपज के अलावा पशुपालन में भी संलग्न है। पशुओं हेतु इनके पास पृथक से आसपास कोठा का निर्माण नहीं किया जाता हैं, बल्कि परछी के ही एक भाग में पशुओं को रखा जाता है। पशुओं को वर्षाकाल में हरा चारा खिलाया जाता है, शेष समय धान का पैरा आदि दिया जाता है। गांव का रावत या घर के ही अन्य छोटे बच्चे वनो में पशु चराने का कार्य करते हैं। नागवंशी जनजाति गाय, बैल, भैंस या भैसा, बकरी, मुर्गा आदि का पालन भिन्न–भिन्न उद्देश्य से करती हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं :–

(1) गाय :- नागवंशी जनजाति में गाय पालन का मुख्य उद्देश्य दूध प्राप्त करना है। साथ ही कृषि कार्य हेतु बछड़े भी प्राप्त हो जाते है। गाय से प्राप्त दूध का सेवन परिवार के सदस्य चाय आदि के रूप में भी करते हैं। दूध की अधिकता होने पर इसे विक्रय कर दिया जाता हैं जिससे इन्हे प्रति लिटर 10–12 रूपये अर्थोपार्जन होता है। वर्तमान में 25 से 30 रू. प्रति लीटर मिल जाता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 5 सामाजिक-संरचना

व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाले पारस्परिक संबंधो की व्यवस्था को समाज कहते है। मनुष्य की प्रवृत्ति कभी भी एकाकी जीवन व्यतित करना नहीं रहा है। आदि काल से ही वह समूह में रह कर एक दूसरे की सहयोग और सुरक्षा करते आया है। साथ–साथ रहने से उनके बीच निश्चित व्यवहार प्रतिमान भी विकसित हो जाता है। जो कलान्तर में व्यवस्थित होकर स्थाई हो जाता है। इसे ही समाजिक संबंध के नाम से जाना जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति का दुसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित होने का उद्देश्य और रीति भिन्न–भिन्न होती हैं जिससे एक ही मनुष्य का एक से अधिक सामाजिक संबंध पाये जाते हैं। इन्हीं संबंधों को ध्यान में रखकर नागवंशी जनजाति की सामाजिक संरचना का वर्णन प्रस्तुत अध्ययन में किया गया हैं।

5.1 वैद्य-समूह :-

जनजातीय सामाजिक–जीवन और संगठन का महत्वपूर्ण आधार वैद्य–समूह हैं। डॉ. मुखर्जी के अनुसार–4 वंश समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वजो से संबंधित समस्त रक्त–संबंधी वंश जो का समूह होता हैं।''

नागवंशी जनजाति पितृवंशीय वंश–समुह व्यवस्था वाला समाज हैं,इसके अंतर्गत पुरूष उसके भाई और संताने ही आती हैं, जबकी उनकी बहन के बच्चे उस वेद्य से बाहर चले जाते हैं।

5.2 गोत्र :-

एकाधिक वंशों का समूह होता है जो पिता पक्ष के समस्त रक्त संबंधियों से मिलकर बना होता है। नागवंशी जनजाति में समस्त गोत्र का नाम उत्पति व्यवसाय के आधार पर पडा है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. **दूध कवरा :-** दूध कवरा गोत्र नाम उत्पति के आधार पर नागवंशी जनजाति अपनी उत्पति छोटा नागपुर से मानते है। किवदेती के अनुसार नागवंशी जनजाति की उत्पति एक नाग से हुई है। एक बार तालाब में एक महिला नहाने गई थी इस समय तालाब में उपस्थित नाग से महिला का संर्ग हो गया और गर्भवती हो गई। लोक लाज के भय से महिला ने बच्चे को घर से दूर जंगल में एक भूडु के पास जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोडकर चली गई। बच्चे के रोने के आवाज सुनकर भुडू में रहनेवाली दूध नाग ने बच्चे को अपने दूध पिलाया। इस प्रकार नाग से उत्पन्न होने के कारण उस बच्चे को नागवंशी और दूध नाग का दूध पीने के कारण दूध कवरा कवरा–निवाला नाम पडा। समस्त नागवंशी जनजाजित में आज भी दूध–कवरा

गोत्र का स्थान सबसे उचा माना जाता है।

2. **कुम्हार** :- कुम्हार गोत्र के लोग मिट्टी के घड़ा बनाने वाली कुम्हार जाति के समान ही है। इस गोत्र के पूर्वज मिट्टी धड़ा आदि बनाने के काम किया करते थे आज भी विवाह में इसके घरों में पेड़ के नीचे मटके बनाये जाते है। जबकि अन्य गोत्र वाले ऐसा नहीं करते हैं।

3. **कोरवा** :- एक घुमंतु नांगवशी जनजाति जो हमेशा तीर एवं धनुष अपने पास रखते है।

4. **सुकरा** :- सुकरा एक घास का नाम है।

5. **छिंदकट्टा** :- छिंदकट्टा गोत्र के लोग पहले छिन के पौधे से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर उसका व्यवसाय किया करते थे।

6. **बाघ** :- बहुत पहले कुछ लोग 'छुही' (घर में पोताई करने की सेफेद मिट्टी) लेने जंगल गये हुए थे तो उन्हें बाघ ने खा लिया। तब से उसके वंशज बाघ गोत्र के नाम से जाने गये। प्रतीक स्वरूप आज भी ये लोग अपने घरों को छुही से पोताई नहीं करते हैं जबकि दुसरे गोत्र के लोग छुही से पोताई करते है। बाघ गोत्र के घरों की पोताई गोबर में पैरा के जली हुई राख मिलाकर हुई करती है।

7. **रावन** :- रावन गोत्र गिध्द पक्षी से संबंधित हैं।

8. **बरंगा** :- बरंगा एक पेड़ का नाम हैं।

9. **सोनझरा** :- सोन झारने का काम करते हैं।

10. **कसेर** :- कांसे का काम करते हैं।

11. **पकेरगीहा** :- दूध कवरा गोत्र वाले पकेरगीह भी लिखते हैं ।

12. **खैरवार** :- खैर एक वृक्ष का नाम हैं।

13. **माझी** :- मछली पकड़ने, नाव चलाने का कार्य करते हैं।

14. **दलमाझी** :- बड़े दल वाला माझी।

15. **समरथ** :- जो समर्थ थे।

16. **मनखिया** :- उपरोक्त के अतिरिक्त जो सदस्य बच गये उन्हे मनखिया (मन–मन, रखिया –रखना) कहा गया।

भावदल :-

नागवंशी जनजाति में भावदल पाया जाता हैं। भावदल स्वयं के गोत्र के अतिरिक्त एक अथवा एक से अधिक अन्य गोत्र के साथ बंधुजन का भाव रखते हैं। परिणामस्वरूप उस गोत्र के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता। नागवंशी जनजाति ऐसे गोत्र वाले समूह को 'अदहाकरी' कहते हैं । नागवंशी जनजाति में निम्न गोत्र के साथ भइहोरी संबंध पाये जाते हैं :–

क्र.	नाम
1	कुम्हार – वरंगा
2	बाघ – मनरखिया
3	लेहार – सुकरा
4	कुम्हार –मनरखिया
5	समरथ –कुम्हार
6	कुम्हार –पकेरगिहा

नागवंशी जनजाति गोत्र वर्हिगमन विवाह संबंध स्थापित करने के लिए सीमित गोत्र की उपलब्धता ने कुछ एक मेइहोरी संबंध समाप्त करने की विवशता भी लाई हैं। मेइहोरी संबंध समाप्त किये हैं। मेइहोरी संबंध समाप्त करने की रस्म को 'पीढ़ा–कलथाई' कहते हैं। पीढ़ा–कलथाई का रस्म जाति पंचायत की स्वीकृति मिलने पर सामाजिक भोज का अयोजन करके ही समाप्त किया जा सकता है।

5.4 नातेदारी :-

(1) नातेदारी के प्रकार :- नागवंशी जनजाति के नातेदारी को दो प्रकार के संबंधो में विभाजित किया जा सकता हैं :–

(अ) रक्त संबंधी नातेदारी :- इस प्रकार के नातेदारी के अंतर्गत ऐसे संबंधी जो समान रक्त के आधार पर एक–दुसरे से संबंधित हो, जैसे– माता–पिता का बच्चों के साथ एवं भाई–भाई अथवा भाई–बहन के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहते हैं।

(ब) विवाह संबंधी नातेदारी :- दो परिवारों के बीच विवाह संबंध से स्थापित नातेदारी विवाह संबंधी नातेदारी कहलात हैं। विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत केवल पति–पत्नि का संबंध ही नही आता है बल्कि दोनों के माता–पिता, भाई–बहन शादी का संबंध भी शामिल होता हैं।

नागवंशी जनजाति की कोई पृथक बोली नहीं हैं वे मुलतः छत्तीसगढ़ी के नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए नातेदारी की शब्दावली भी छत्तीसगढ़ी बोली से मिलता – जुलता हैं, जो इस प्रकार हैं –

शब्द	अर्थ
माई, माँ	माता
बुआ या दाउ	पिता
आजा (दादी)	दादा
आजी	दादी
भईया	बड़े भाई

दीदी	बड़ी बहन
बड़े बुआ	पिता के बड़ी बहन
कका	पिता के छोटे भाई
काकी	कका की पत्नी
दीदी, फूफू	पिता के बहन
बेटा	पुत्र
बेटी	पुत्री
बहुरिया	पुत्र की पत्नि (बहु)
दमाद	पुत्री के पति या छोटी बहन का पति
मामी	माता के भाई की पत्नी
मामा	माता के भाई
बड़े सास	पत्नि के बड़े बहन
सरहज, बहिनी	पत्नि के बड़े भाई की पत्नि
सारा	पत्नि के छोटे भाई
सारि	पत्नि के छोटी बहन
बड़े सास	पत्नि के बड़ी बहन
साढु	पत्नि के छोटे/बड़े बहन के पति
ससुर	पत्नि के पिता
सास	पत्नि के माता
कुरा ससुर	पति का बड़ा भाई
जिठानी	पति के बड़े भाई की पत्नि
देवर	पति के छोटे भाई
देवरानी	पति के छोटे भाई की पत्नि
ननंद	पति की छोटी बहन
ननदोई	पति की छोटी बहन का पति
बहनाई	छोटी बहन का पति

भाटो	बड़ी बहन का पति
समधी	पति–पत्नि दोनों के पिता
समधिन	पति – पत्नि दोनों के माता
मामा बुआ	माता के भाई की पत्नि
मामा बई	माता के पिता
बड़े दाई	माता के माता
मौसी	माता की छोटी बहन
मौसा	मौसी की पति
भान्जा, भाचा	बहिन की लड़का
भान्जी, भाची	बहिन की लड़की
भौजी	बड़े भाई की पत्नि
घरवाला	पति
घरवाली, परानी	पत्नि
भईया ददा	बड़े भाई
बड़खा	बड़े भाई
दीदी	बड़ी बहन
बड़ा	पिता जी के बड़े भाई
बड़े बुआ	पिता के बड़े बुआ
संगी	जीजा का भाई
संघात	जीजा का बहन
संगी	बहनोई का भाई
संघात	बहनोई का बहन

टीप :- नांगवशी जनजाति में सगोत्र विवाह वर्जीत है। माता की बेटी जो अगल गोत्र का होता है। उसी से शादी संभव है। अगर अपवाद स्वरूप कोई सगोत्र की लड़की या लड़का जाने अनजाने में संबंध बनाते है, या साथ रहने का निर्णय लेते है। तो उन्हें ''गौमार'' (गौ हत्या) का पाप लगता है। उन्हें समाज द्वारा जात–भात (चाक–भात) का दण्ड दिया जाता है, और उन्हें निर्णय अनुसार शामिल किया जाता है।

(2) नातेदारी की रीतियाँ :- नातेदारी व्यवस्था में दो संबंधियों के बीच के संबंध या व्यवहार किस प्रकार का होगा, इस विषय में कुछ नियम या रीतियां पाई जाती हैं जिन्हें नातेदारी की रीतियां कहते हैं। नागवंशी जनजाति में प्रचलित नातेदारी की प्रमुख रीतियां इस प्रकार हैं

(अ) परिहार :- कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच संबंध तो स्थापित करता हैं, साथ ही व्यवहार प्रतिमान में निश्चित दुरी स्थापित करता हैं। ये यथा सम्भव प्रत्यक्ष या आमने सामने रहकर पारस्परिक अतः क्रिया सम्पादित नहीं करते।

नागवंशी जनजाति में निम्नलिखित संबंधियों के बीच परिहार की रीतियां पाई जाती हैं

(1) जेठ–बहु (2) ससुर–बहु (3) सास–दामाद (4) भान्जा बहु– मामा ससुर (5) दामाद–पत्नी की बड़ी बहन।

(ब) परिहास :- यह परिहार के बिल्कुल विपरित हैं। जहां परिहार दो संबंधियों को एक दुसरे से दूर रखने का विधान करता हैं। वही परिहास एक दुसरे को नजदीक लाने की कोशिस करता हैं। इसमें यौन संबंधों से बचने की कोशिस की जाती हैं किन्तु उतनी हंसी मजाक की छूट रहती हैं। नागवंशी जनजाति में निम्न संबंधों के बीच परिहास संबंध पाया गया

(1) देवर–भाभी, ननंद–भाभी (2) मामा के लड़के–लड़की (3) दादा–दादी (4) काकी–भतिजा (5) नराना–साली (6) नाना–नानी (7) समधी–समधिन

(स) माध्यमिक संबोधन :- नातेदारी की इस रीति में रक्त संबंधि को संबोधित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता हैं, क्योंकि उस संबंधि को ना तो उसके नाम सें पुकारा जाता हैं और ना ही रिश्ते से।

जैसे – (1) पत्नी अपने पति को बच्चे के नाम को माध्यम बनाकर संबोधिक करता हैं। जैसे 'गुड्डू के बुआ' साधारणतया पति भी अपने पत्नि का नाम नही लेता (2) बहु को उसके नाम से संबोधित न कर उसके मायके के गांव के नाम से पुकारते हैं। जैसे कुकर गांव के लड़की को कुकुरगहिन कहकर पुकारते हैं।

5.6 परिवार :-

नागवंशी जनजाति में परिवार पित्रवंशीय, पितसत्तात्मक एवं पितृस्थानिय होते हैं। ऐसे परिवारों में पिता परिवार का मुखिया होता हैं जिसके नेतृत्व व मार्गदर्शन में पारिवारिक गतिविधियां चलती हैं। तथा परिवार के सदस्यों पर उसका सर्म्पूण नियंत्रण होता हैं। कोई–कोई परिवार ऐसे भी होते हैं। जिनमें लड़के और उसकी पत्नियां एवं बच्चे भी रहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की बागडोर वृद्ध पुरूष के हाथ में होती हैं।

(1) परिवार के प्रकार :– नागवंशी जनजाति में परिवार दो प्रकार के होते हैं :–

(1) एकल परिवार

(2) संयुक्त परिवार

(1) एकल परिवार :- माता–पिता और उसके अविवाहित बच्चों को एकल परिवार कहा जाता हैं।

(2) संयुक्त परिवार :- माता–पिता, उसके अविवाहित और विवाहित बच्चे, नाती, पोते मिलकर संयुक्त परिवार का निर्माण होता हैं।

(2) धर्म :- नागवंशी जनजाति के लोग हिन्दू मान्यताओं को आज का युवा पीढ़ी मानते है। पुराने जमाने के लोग सरना पूजा, बैगा प्रथा बैगा के द्वारा ही शादी विवाह में प्रथम पूजा किया जाता है। नागवंशी समाज में आज भी गुनिया (वैद्य) पर कुछ लोगो का विश्वास है। इन्हीं के द्वारा आज भी झाड़फूक पर नागवंशी जनजाति के लोग विश्वास करते है। नागवंशी जनजाति के लोगों का धर्म आदिवासी धर्म है। सरना, नदी, तलाब, पहाड़, पेड़–पौधों एवं पत्थरों, जलाशयों एवं खेतों पर अपनी देवी–देवताओं का वास मानते है, और बकरा, मुर्गा, भेड़ा का बली देकर अपने इष्टदेव, दुल्हादेव, ठाकुरदेव, खम्हाडोल, केशलापाट, डिहारी, हरदीपाट, सिकरिया, बुड़ादेव आदि के नाम से पुकारते है, और इन्हीं से मंनत मांगते है।

(4) पारिवारिक संबंध :- नागवंशी जनजाति में परिवार के सदस्यों का उनके संबंधों के आधार पर पारस्परिक संबंध निम्नानुसार हैं –

(1) माता-पिता :- माता–पिता की परिवार में भूमिका एक मालो तथा बच्चों को भुमिका किसी कोमल पौधो की तरह होता हैं। बच्चों का लालन–पालन करना, सामाजिक कार्य को शिक्षा देना, अर्थोपार्जन के सक्षम बनाना, विवाह करना आदि माता–पिता अपना धर्म एवं कर्तव्य दोनों मानते हैं।

(2) पति-पत्नि :- पति–पत्नि का संबंध मधुर होता हैं। नागवंशी जनजाति में पति की भूमिका स्वामी जैसा न होकर सौहाद्रपूर्ण एवं आपसी सहयोग का हैं। पति–पत्नि दोनों कृषि घाट–बाजार, बच्चों के लालन–पालन आदि का कार्य आपसी समझ एवं सूझबूझ के साथ करते हैं। निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं अधिकार पति –पत्नि दोनों को हैं।

(3) माता-पुत्र :- माता –पुत्र का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है। माता बच्चों को लाड़–दुलार, बच्चों की जिद पूरा करना, कभी रूठ जाने पर मनाना, खाना–खिलाना आदि कार्य करती है जिससे बच्चे हमेशा माता से अत्यधिक निकटता महसूस करते हैं।

(4) माता पुत्री :- शिशु अवस्था में तो पुत्री के साथ संबंध अन्य बच्चों की तरह ही होता हैं, परंतु बाल्यवस्था से ही पुत्री को घरेलु काम–काज, बच्चो के पालन आदि की शिक्षा देना शुरू कर देती है। बच्ची भी हर समय माता के साथ रहती हैं और उसके कामनानुसार ही अपना कार्य करती हैं। विवाह उपरांत माता–पुत्री एक–दुसरे का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

(5) पिता-पुत्र :-पिता–पुत्रों को बचपन में बहुत लाड़–दुलार देते हैं। परंतु पुत्र जैसे –जैसे युवा होने जाता हैं उसके साथ थोड़ा दूरी और सम्मानजनित व्यवहार किया जाता हैं। पिता एक ओर जहां आदेशात्मक व्यवहार करता है वहीं कुछ बातों में पुत्र से सलाह भी लिया जाता हैं।

(6) पिता-पुत्री :- पिता–पुत्र का संबंध आत्मीय होता हैं पुत्री भी पिता का बहुत ध्यान रखती है और आदरभाव रखती हैं। पुत्री को पराया धन समझ कर पिता बचपन से पुत्री को विवाह की तैयारी करता रहता हैं। विवाह उपरांत पिता–पुत्री आपस में बडे आदर और प्रेम भाव से मिलते है।

(7) भाई-भाई :- दो भाईयों के बीच का व्यवहार प्रेमपूर्ण होता हैं। बड़े–भाई पिता के समान ही छोटे भाई की देख–रेख एवं सुरक्षा करता हैं। छोटे भाई का बड़े भाई से बहुत हीं सम्मान पूर्वक बात करता हैं। विवाहोपरांत संपति वितरण में बड़े भाई का हिस्सा अधिक होने पर भी उसे कोई आपति नहीं होता हैं।

(8) सास बहु :- सास बहु का संबंध बहुत ही मधुर होता है, परन्तु कभी–कभी थोड़ा कड़वाहट भी आ जाती हैं। सास बहु दोनों एक साथ खेतों मे काम करने, बजार –घाट आदि जाती हैं।

5.6 मित/मितान :-

मित/मितान का संबंध न तो रक्त संबंधी हैं और न ही विवाह संबंधी, परन्तु इस संबंध का महत्व परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।जिस प्रकार विवाह संबंध में नातेदारी दोनों परिवार की समस्त रिश्तेदारों से जुड़ जाती है, उसी प्रकार मित मितान में भी दोनों परिवारों के बीच संबंध जुड़ जाते हैं। माता पिता के लिए बच्चों के मित मितान का स्थान अपने बच्चों के जैसा ही होता है।

नागवंशी जनजाति किसी भी जाति के सदस्य को मित मितान बना सकती है परन्तु व्यवहार में सामाजिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना पड़ता हैं अपने से उच्च या समकक्ष जाति के साथ एक साथ खान पान संबंध होता है वही अपने जाति से निम्न जाति के साथ खान पान संबंध नही होता है उनके साथ बाकी व्यवसाय से कोई अतंर नही होता है।

दो परिवारों के बीच मित्रता होने के कोई निश्चित मापदण्ड नही हैं फिर भी कुछ आधार हैं जिससे दो परिवार मित्र बनने की ओर प्रेरित होते हैं –

(1) संतान संख्या :- दोनो परिवार में यदि पुत्र व पुत्री की संख्या समान हो तो दोनो परिवार की स्त्रिया स्वमेव ही एक–दुसरे को सखी कहना शुरू कर देती हैं। जब घनिष्ठता अधिक हो जाने पर निश्चित मित्र बना लेती हैं।

(2) नाम :- नामों में समानता होने पर एक–दूसरे को 'सहनाव' से संबंधित कहते हैं। धनिष्ठता होने पर मित/मितान बध लेते हैं।

(3) चेहरा :- चेहरा या शारीरिक बनावट एक –समान होने पर एक –दूसरे को 'गिया' शब्द से संबोधित किया जाता है।

मित/मितान बदने के लिए कुछ निश्चित रस्म पूरे करने होते है जिनके लिए किसी पुरोहित को आवश्यकता नही होती। परन्तु फिर भी समाज के कुछ सयाने लोग ही इस रस्म को पुरा करते हैं। जब मितान एक ही गांव में होता है तो अन्य गांव वालो को निमंत्रण देने की आवश्यकता नही होती। यदि मितान बधने वाले दो पृथक गांव के निवासी है तो किसी एक गांव में मितान बधने का कार्यक्रम संम्पन्न किया जाता है वहां रिश्तेदारों के अतिरिक्त पारा–पड़ोस के लोगों के भी बुलाया जाता हैं।

मितान बधने के अनेक प्रकार है, जैसे–महाप्रसाद गंगाजल, तुलसीदल, भौजली आदि। इनमें महाप्रसाद को सबसे उच्च मानते हैं। और भौजली संबंध को सामान्य। मितान बधने का समारोह आंगन में किया जाता है। आगन को गोबर से लीप कर उस पर चावल आटे से चौक पूरते है, जिसके ऊपर कलश में

एक दिया जलता रहता है। फिर दोनो व्यक्ति (जो मितान बधने वाले हो) नारियल, दुध व प्रसाद (दूब एक –दूसरे के कान में खोचते और नारियल को आपस में सात बार बदल लेते है। फिर यदि धोती रही तो उसे या लुंगी को एक–दुसरे के कन्धे पर रख देते है। उसके बाद नारियल फोड़कर उसे आये हुये अतिथि तथा आमन्त्रित लोगों के बीच बाटते हैं। दोनों मितान सभी सगे–संबंधियों का पैर छूकर आर्शीवाद प्राप्त करते है।

मितान की स्त्रिया पुरूषों के सामने नहीं आती और पर्दा करती है परन्तु दूर से प्रणाम करती हैं। दोनो मितान आपस में दोनों हाथों को जोड़कर 'पलगी' करते है।

5.7 अर्न्तजातीय संबंध :-

जिन ग्रामों में नागवंशी बसे है उनमें गोड़, उरांव, लोहार, महकुल एवं गाडा आदि जाति, जनजाति के लोग भी निवास करते है सभी लोग पारस्परिक सहयोग और सद्भावना के साथ रहते है। नागवंशी लोग विवाह आदि अवसरों में गोड और यादव के घर खाना खाते हैं परन्तु उरांव लोहार, या गाड़ा के घर खाना नहीं खाते है। इसके बदले वे कच्चा अनाज ग्रहण करते है, इसी प्रकार गोड़, यादव को अनाज दे देते है। उरांव और गाड़ा निम्न जाति के माने जाते है। नागवंशी न तो इनके हाथ का पानी पीते है और न ही खाना खाते है।

5.8 सामाजिक स्तरीकरण :-

नागवंशी जनजाति ग्राम में निवासरत कुछ जातियों को अपने से उच्च या समकक्ष मानती है तो कुछ जातियों को 'पनिहा समाज' (निम्न) मानती है। जिसका वितरण निम्नांकित है –

उच्च	समकक्ष	निम्न
ब्राम्हण	गोंड	उरांव
बवा	कंवर	लोहार
बनिया	माझी	गांड़ा

उपरोक्त सामाजिक स्तरीकरण में उच्च जातियाँ विभिन्न सामाजिक अवसरो पर नागवंशी जाति सदस्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करते है और न ही उसके घर का पका भोजन ग्रहण करते है। बदले में कच्चा अनाज का अदान –प्रदान होता है। सर्वेक्षित जााति गोंड, कंवर, माझी जनजााति सदस्यों के अपने घर का पका भोजन के लिए आमंत्रित करती है और स्वयं भी उसके घर का पका भोजन ग्रहण करते है। 'पनिहा समाज' (निम्न) जिसमें उरांव, लोहार, गांडा शामिल है उन्हें सामाजिक अवसरों पर कच्चा अनाज दिया जाता है और इसी प्रकार उनसे केवल कच्चे अनाज ग्रहण किये जाते हैं।

❑❑❑❑

अध्याय - 6 जीवन संस्कार

विश्व के सभी समाजों में शिशु जन्म, विवाह एवं परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर एक पूर्व निश्चित नियमों के अंतगर्त कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। यद्यपि परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देती है। किन्तु समाज के कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें ही जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में इन संस्कारों से संस्कार बद्ध होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग में निवासरत नागवंशी जनजाति भी इन जीवन संस्कारों का निर्वहन करते हैं। जो निम्न है–

6. जन्म संस्कार :-

6.1 गर्भधारण :-

नागवंशी जनजाति में स्त्री के मासिक धर्म रूकने से गर्भधारण या गर्भ के ठहरने का ज्ञान होता है। जब स्त्री को उल्टीयॉ आने लगे और खट्टी चीजे जैसे इमली, आम आदि खाने का इच्छा करे तो इसकी और अधिक पुष्टि हो जाती है, इस जनजाति की गर्भवती महिलाएँ प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक कार्य सम्पन्न करती है। गर्भावस्था के दौरान कोई विशेष संस्कार नहीं किया जाता है। प्रसव काल में जंगल से लकड़ी लाने, नदी–नाले पार करने, पेड़ पर चढ़ने, सूर्य ग्रहण, चन्द्रग्रहण को देखने पर निषेध होता है।

6.2 प्रसव :-

नागवंशी जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर के ही एक कमरे या कोने में कराया जाता है। प्रसव कार्य ग्राम के ही प्रसव कार्य में दक्ष (लोहरीन) दाई से कराते हैं, शिशु जन्म उपरांत शिशु के नाल को नये ब्लेड से काटते हैं, और उसे घर के आंगन में गड्डा खोदकर गाड़ दिया जाता है। नाल झड़ने तक प्रसूता एवं शिशु की देख–रेख (लोहरीन) दाई ही करती है। प्रसूता को कुलथी, हरवा, छिंदकांदा, गुड़ एवं अन्य जड़ी–बुटीयों से निर्मित काढ़ा (कासा) पिलाते हैं।

6.3 छठी संस्कार :-

जन्म के छटवें दिन या नाल झड़ने पर छठी संस्कार में सामाजिकजनो एवं रिश्तेदारों को आंमत्रित किया जाता है। इस दिन नाई नवजात शिशु का मुण्डन व अन्य उपस्थित सामाजिक जनों व रिश्तेदारों का दाढ़ी–मुंछ बनाता है। धोबी घर के सभी सदस्यों के ओढ़ने, बिछाने के कपड़े व पड़ोसियों के यहॉ से एक–दो कपड़े ला कर नदी या तालाब में साफ करने ले जाती हैं।

6.4 पितर या पूर्वज का मिलान :-

नागवंशी जनजाति पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। परिवार में किसी बच्चे का जन्म होने पर उसकी किसी पितर या पूर्वज का पुनर्जन्म है या नहीं इसको जानने के लिए एक फुल कांस की थाली में पानी रखकर

पूर्वजों के नाम लेकर दो–दो दाने चावल डालते हैं, जिसके नाम पर चावल एक–दुसरे से जुड़ जाते हैं। तो उसे इसी पूर्वज या पितर का पुनर्जन्म माना जाता है। यदि चावल के दाने नहीं मिलते हैं तो उसे पितर का पुनर्जन्म नहीं माना जाता है।

6.5 नामकरण :-

इस जनजाति में बच्चे का नाम का चयन घर के मुखिया व परिवार के सभी सदस्य मिलकर तय करते हैं। बच्चों का नाम सामान्य हिन्दु नाम जैसा होता है, जैसे रमेश, सुरेश, मोहन, श्रवण, पूर्व समय में बच्चे का नाम जिस दिन वह पैदा होता था, जैसे किसी बच्चे का जन्म बुधवार को हुआ तो उसका नाम बुधारू, सोमवार को जन्म होने पर समारू आदि प्रकार से नाम रखा जाता था। बच्चे का नामकरण करने पश्चात सभी उपस्थित सामाजित जनों, रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं व हड़िया पिलाते हैं।

6.6 कुल देवी-देवता एवं ग्रामीण देवी-देवता का पूजा :-

नागवंशी जनजाति में शिशु जन्म की खुशी में छठी संस्कार के दिन अपने कुल देवी–देवता व ग्राम देवी–देवता की मुर्गी, बकरा आदि का बलि चढ़ाते हैं।

(1)	लाल मुर्गी या मुर्गा (तमोना)	–	खुंट (ग्राम) देवी–देवता
(2)	कसरी मुर्गी (हल्का भूरा रंग)	–	कुल देवी–देवता (घर का)
(3)	सफेद लाल (परसा)	–	पाठ देवता
(4)	पंडरा लाल	–	महादेव पार्वती

बली चढ़ाने का कार्य गांव का बैगा / देवार करता है। अधिकांश नागवंशी निवासरत गांवो में गांव का बैगा / देवार नागवंशी जनजाति के लोग ही होते हैं।

6.7 बरही :-

इस जनजाति में बरही के दिन नवजात शिशु का नाई से मुण्डन कराते हैं। प्रसूता घर के ओढ़ने–बिछाने के सभी कपड़ो को धोती है।

6.8 तेरही :-

शिशु जन्म में लड़का पैदा होने पर डेढ़ महिना, लड़की पैदा होने पर सवा महिना पूर्ण होने पर प्रसूता महिला अपने पहनने व ओढ़ने, बिछाने के पूरे कपड़े को साफ कर नहाती हैं। तेरही के पश्चात प्रसूता का रसोई घर में प्रवेश व भोजन बनाना प्रारम्भ हो जाता है। इससे पूर्व प्रसूता को पानी भरना, रसोई में जाना, भोजन पकाना, गौशाला, भण्डार गृह में प्रवेश निषेध होता है। तेरही के बाद ही प्रसूता को शुद्ध (पवित्र) माना जाता है।

6.2 विवाह संस्कार :-

6.2.1 विवाह हेतु अधिमान्यता :-

इस जनजाति में विवाह हेतु ममेरे–फुफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। नागवंशी जनजाति में अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु उनके मामा या फुफा के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे विवाह को समाज के द्वारा अच्छा माना जाता है। क्योकिं वधु पक्ष एवं वरपक्ष पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते हैं। जिससे संतान की वैवाहिक जीवन सुखी होने का विश्वास होता है तथा दोनो पक्षो में आपसी परिवारिक संबंध भी घनिष्ठ होते हैं।

6.2.2 विवाह की आयु :-

पूर्व में नागवंशी जनजाति में सामान्यतः लड़के, लड़कियों का विवाह 16–18 वर्ष होने पर विवाह कर दिया जाता है। किन्तु वर्तमान में नागवंशी समाज में शासन के नियमानुसार लड़का का विवाह 21 वर्ष तथा लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही किया जाता है।

6.2.3 विवाह :-

नागवंशी जनजाति में विवाह योग्य लड़की–लड़का होने पर विवाह का प्रस्ताव लड़का पक्ष वाले लड़की पक्ष की ओर जाते हैं, लड़की पता अपने करीबि रिश्तेदारों के माध्यम से करते हैं, लड़की का पता चलने पर लड़का पक्ष वाले अपने करीबी रिश्तेदारों जैसे जीजा, फूफा, मामा व अन्य गांव के सामाजिक भाईयों के साथ लड़की के घर जाते हैं। पहले गांव के रिश्तेदारों के माध्यम से आने की सूचना लड़की पक्ष वालो को दी जाती है। लड़की की घर पहुचने पर बोलते हैं कि ''साग हरा दिख रहा है साग तोड़ने के लिए आये हैं''(अर्थ – आपके यहॉ शादी करने लायक लड़की है उसे हम बहु बनाना चाहते हैं।) लड़की पक्ष के द्वारा सामान्यतः हॉ का हामी भरी जाती है। लड़की पक्ष वालों के द्वारा मेहमानो को खाना खिलाया जाता है, इसके बाद अपने घर चले जाते हैं। नजदीकी रिश्तेदार होने पर रूक भी जाते हैं।

6.2.4 घर देखी :-

लड़का पक्ष के बुलावे पर लड़की पक्ष वाले अपने 8–10 करीबी रिश्तेदारों, गांव के इशिष्ट कुटुम्ब के साथ जाते हैं, मेहमानो के आने पर थाली में पाव रखकर पानी से धोया जाता है। मेहमानो को खाना खिलाया जाता है व हंडिया पिलाया जाता है। सामान्य चर्चा भी चलती रहती है। लड़की पक्ष वालो को घर, वर पसंद आने पर लड़का पक्ष वाले हंडिया बनाने के लिए 5 किलो का 4, 6 किलोग्राम का 2 कुल 6 हंडिया बनाने के लिए चावल एवं बिरो (रानु गोटी) लड़की पक्ष की ओर पहुचाते हैं। इसी दिन ब्याह मांगा गुड़ चिवड़ा की तिथि भी तय की जाती है।

6.2.5 ब्याह मांगा गुड़ चिवड़ा :-

ब्याह मंगा गुड़ चिवड़ा के लिए तय तिथि अनुसार लड़का पक्ष वाले अपने करीबी रिश्तेदार, ईसीट समाज के साथ, 5 खण्डी चावल, 3 किलो दाल, 1 किलो ग्राम तेल 1 किलो तिल, मयसारी लुगड़ा, गुड़ चिवड़ा आदि समान लेकर लड़की के घर जाते हैं। वहॉ उनके करीबी रिश्तेदार, ईसीट समाज जुटे रहते हैं। पहुचने

पर थाली में पाव को रखकर पानी से धोया जाता है। उसके बाद अपने साथ लाये हुए समानों को सभी के समक्ष दिखाते हैं। समान में कमी बेसी होने पर लड़का पक्ष को अवगत कराया जाता है। कमी होने पर उनके द्वारा पूरा किया जाता है। उसके पश्चात दोनो पक्ष के लोग आपस में समधी भेंट करते हैं, समधी भेंट में लड़का का पिता शामिल नहीं होता है। उनके ओर से लड़का का बड़े पिता या चाचा समधी भेंट करता है। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगो को खाना खिलाया व हंडिया पिलाया जाता है। इसी दिन विवाह की तिथि तय किया जाता है। विवाह सामान्यतः चैत, बैशाख, जेठ महिनो के शुल्क पक्ष के विषम तिथियों (पक्षो) जैसे पंचमी, सतमी, नवमी, एकादशी, तेरस तिथि में तय किया जाता है। पूर्णिमा के दिन विवाह की तिथि तय नहीं करते हैं। नागवंशी जनजाति में विवाह सामान्यतः 3 दिनो का होता है।

6.2.6 मण्डप एवं तेल (पहला दिन) :-

नागवंशी जनजाति में मण्डपछादन एवं तेल मायन एक ही दिन किया जाता है। मण्डपाछादन के लिए घर के आंगन में तीन–तीन के कतार में नौ सरई के खम्बे गाड़े जाते हैं, बांस आदि की छप्पर बनाकर जामून पेड़ के डालियों से छाव किया जाता है। गांव के नवयुवक लोग मिलकर मडवा लाने के लिए जंगल जाते हैं। मडवा लाने के पश्चात उसे घर के पास किसी आम वृक्ष में टिका कर रखा जाता है। गांव के बैगा/भूमिया घसिया बाजा के साथ मडवा को परघा कर लाते हैं। उसके बाद सभी खम्बों में एक–एक या दा–दो मड़वा गाड़ा जाता है। मड़वा परघाने के लिए नवयुवको व बैगा/भूमिया के लिए अलग–अलग हड़िया की व्यवस्था किया जाता है। बैगा/भूमिया को धोती भेंट किया जाता है। मण्डप के मध्य खम्बे में चौरा बनाया जाता है। चौरा के चारो तरफ धान का चौक पूर कर दीपक जलाया जाता है। शाम के समय वर–वधू को घर के अंदर चोर तेल चढ़ाया जाता है। इस रस्म में वर–वधू के परिवार वाले उनके पूरे शरीर में तेल लगाते हैं, तेल लगाने में वर–वधु के भाभी (ढेड़हीन), जीजा (ढेड़हा) का मुख्य भूमिका होती है। करीब 9–10 बजे के आसपास वर–वधु को मण्डप में ढेड़हिन, ढेड़हा के द्वारा निकाला जाता है। मण्डप में वर–वधु को 5 बार हल्दी चढाया जाता है। घसिया बाजा के साथ नाच–गान किया जाता है। नाचने वालों को हड़िया महुवा आदि पिलाया जाता है।

6.2.7 दूसरा दिन (बारात प्रस्थान) :-

दूसरे दिन गांव समाज वाले थाली या टोकरी में हल्दी, चावल, दाल, कपड़ा आदि लेकर शादी घर में आते हैं घर वाले उनका गुड़पानी हड़िया आदि से स्वागत करते हैं। पूरे दिन वर–वधु के साथ मण्डप में घसिया बाजा के साथ नाच–गान चलता रहता है। जब तक की हल्दी खत्म न हो जाता। अंत में वर–वधु का 5 बार तेल उतारा जाता है। शाम के समय वर को नहलाकर धोती, कुरता, पगड़ी पहनाकर सिर में मौर (जो की छिंद या खजूर के पत्ता का तथा धान को बांस के छोटे–छोटे सीकनुमा में फसाकर सुंदर सफेद धागा से लपेट कर बांधा जाता है। छिंद के पत्ते से घन के आकार का चार पत्ते को एक दूसरे के उपर लपेट कर बनाते है। जिसे कंकन मौर कहते है। दूल्हा के मुकुट में (धान का बना हुआ) तीन नग लटका रहता है। दूल्हन के मुकुट में अर्द्धचन्द्रकार बांस एवं धान के दाना को धाग में बांधा जाता है, और छिंद या खजूर के पत्ते को खड़ा मोडकर जाली नुमा बनाया जाता है। जो मुकुट सा दृश्य जान पड़ता है, में दूल्हे के समान मुकुट में तीन

नग (धान की बाली) लटका रहता है।) बांधकर व हाथ में बिजना पकड़ाकर व गले में आम पत्ते से बना माला पहनाकर कुल देवी–देवता, ग्रामीण देवी–देवता को सुमरण करके अपने करीबी रिश्तेदार एवं इंसीट कुटुम्ब सदस्य वधु के साजो समान लेकर गाजे–बाजे के साथ बारात निकलते हैं। बारात गांव के सरहद या वधु पक्ष द्वारा निर्धारित किये गये (डेरा) में ठहरते हैं। वधु पक्ष वाले को जैसे ही बारात पहुंचने की सूचना मिलती है, तो बारात पघराने की तैयारी की जाती है। बारात परघाने में मुख्यतः वधु की मॉ, चाची, बहु व अन्य करीबी रिश्तेदार गाजे–बाजे के साथ जाते हैं। वहॉ पहुचने पर सर्वप्रथम वधु की मॉ, चाची बुआ आदि सात लोग मिलकर वर के पैर को पानी से धोते हैं। परघाकर शादी घर के पास उन्हें रूकने के लिए डेरा दिया जाता है। परघाते समय दोनो पक्ष के बाजा वाले अपने–अपने बाजीगिरी खेल दिखाते हैं व नाचते गाते हुए आते हैं। करीब के डेरा में पहुचने के पश्चात वधु के साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं अन्य श्रृगांर के समान को वधु पक्ष को दे देते हैं। उसके बाद बारातियों को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद सो जाते हैं। कुछ लोग नाचते गाते रहते हैं।

6.2.8 विवाह :-

तीसरे दिन सुबह मंडप की लिपाई पुताई करके चावल आटा से चौक पूर करके वर–वधु के लिए मण्डप के पूर्व दिशा में दो चटाई को बिछा कर वर–वधु को बिठाया जाता है। शादी की रस्म नागवंशी समाज के मुखिया द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। सात फेरे में वधु आगे रहती है वर पीछे रहता है। फेरे के समय वर–वधु को नये कपड़े से ढके रहते हैं। उनके भाभी–जीजा आदि लोग उनका मार्गदर्शन व सहयोग करते हैं। सात फेरे पूर्ण होने पर चटाई में बिठाया जाता है। वधु के मॉ, बाप, वर–वधु के पाव को थाली में रखकर पानी से धोते हैं और धोए हुए पानी को अपने घर के सानी (छप्पर) में फेक देते हैं। शादी कराने वाले मुखिया वर को मड़वा का एक चक्कर लगवा कर वचन समझाता है। और कहता है कि वधु को अच्छे से देख–परख लो वह अंधी, कानी है, इसके साथ आपको जीवन व्यतीत करना है। इसके बाद वर वधु के माथे पर धूल अथवा राख का टीका लगाता है। वधु के बहन लोग रोकने का प्रयास करते हैं, कुछ राशि नेंग के रूप में देने पर लगाने देती हैं। उसके बाद मुखिया वधु को मड़वा का एक चक्कर लगवा कर वधु से भी वचन दिलवाता है कि लड़के को अच्छे से देख परख लो, वह अंधा, काना, लुला है उसी के साथ जिदंगी भर रहना है। फिर वधु वर के माथे में धूल या राख का टीका लगाता है। उसके पश्चात वर–वधु को घर के अंदर ले जाते हैं। दरवाजे पर वधु के सहेली, बहन आदि लोग रोकते हैं, नेंग के रूप में वर के द्वारा कुछ रूपया दिया जाता है फिर जाने देते हैं। कमरे के अंदर एक पइला में चावल भर कर गिरा दिया जाता है। लड़की के सहेली व बहन कुछ चावल को छुपा देते हैं। जिसके कारण वर पइला को चावल से पूरा भर नहीं पाता है, फिर बाद में छुपाये चावल को देते हैं उससे वर पइला को पूरा भर लेता है, यही प्रक्रिया वधु के साथ भी किया जाता है। इसके बाद घर के बुर्जूग लोग अपने घर के पीतर को चावल, नारियल, हवन चढ़ाकर पूजा करते हैं। सभी को प्रसाद वितरण करते हैं। तत्पश्चात वधु पक्ष वाले वर को नहलाते हैं तथा वर पक्ष वाले वधु को नहलाते हैं। तत्पश्चात सभी उपस्थित रिश्तेदार, बारातियों, सामाजिक जनों को खाना खिलाया जाता है। व हड़िया पिलाया जाता है।

6.2.9 धरम टिकावन :-

मंडप में चौक पूर करके वर–वधु चटाई में बिठाया जाता है, सर्वप्रथम वधु के मां–बाप नये कांसा थाली में दोनो के पाव को रखकर पानी से धोते हैं और नव–दम्पतियोंको आर्शीवाद प्रदान कर वस्तु या नगद के रूप में उपहार भेंट करते हैं। इसके बाद सभी रिश्तेदार व सामाजिक जन वर–वधु का आर्शीवाद व उपहार भेंट करते हैं। धरम टिकावन का कार्यक्रम समाप्त होने पर वधु की मां वधु को गुड़ चिवड़ा खिलाती है, इसके बाद बारातियों का विदाई कर दिया जाता है।

6.2.10 लड़का पक्ष में वर-वधु का स्वागत :-

वर पक्ष में वर–वधु का स्वागत करके अपने घर में प्रवेश कराते हैं, तत्पश्चात वर–वधु को नहला–धुलवाकर वर पक्ष में चुमावन कार्यक्रम किया जाता है। वर के मॉ–बाप, अन्य परिवार जन, रिश्तेदार, सामाजिक जन वर–वधु को आर्शीवाद प्रदान करते हैं। उपहार स्वरूप राशि या सामान भेंट करते हैं। वधु को नहला धुलाकर पूजा कराया जाता है, इसके बाद ही रसोई में प्रवेश कराते हैं। नई बहु सभी लोगो के लिए खाना बनाती है और खिलाती है।

विवाह की अन्य पद्धतियाँ :-

नागवंशी जनजाति में सामान्य विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाह को भी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो निम्न है –

1. **ढुकु या पैठू विवाह :-** यदि नागवंशी जनजाति की कोई लड़की, लड़का एक–दुसरे से प्रेम करते हैं और लड़की मॉ, बाप को बिना बताये अपने प्रेमी के घर में जाकर रहने लगती है, तो उसे ढुकु जाना कहते हैं। समाज के द्वारा दोनो पक्षो को दण्डित किया जाता है, दण्ड सामान्यतः सामाजिक भोज के रूप में होता है। इसके बाद लड़की–लड़का का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करवाया जाता है।

2. **सहपलायन (उढ़रिया) :-** यदि नागवंशी जनजाति के लड़की–लड़का एक–दुसरे प्रेम करते हैं और लड़का लड़की को लेकर घर से कहीं दूर भाग जाता है। घर आने पर दोनो पक्षो को दण्डित किया जाता है। दण्ड सामान्यतः सामाजिक भोज के रूप में होता है। उसके बाद दोनो का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह कराया जाता है।

3. **चूड़ी विवाह :-** नागवंशी जनजाति में चूड़ी विवाह सामान्य एक दिन का होता है। यदि किसी विवाहित स्त्री की पति का अचानक मृत्यु हो जाती है, और उनके बच्चे भी नहीं हैं ऐसी स्थिति स्त्री की जीवन बहुत ही कष्टमय प्रतीत होता है। यदि कोई पुरूष उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है तो वह पुरूष स्त्री को चूड़ी पहनाकर और जयमाला पहनाकर अपनी पत्नी बना सकता है। ऐसे विवाह को चूड़ी विवाह कहा जाता है। ऐसे विवाह सामान्यतः विधवा महिलाओं व परित्यागता महिलाओं के भविष्य को देखते हुए किये जाते हैं।

मृत्यु संस्कार :-

नागवंशी जनजाति में मृत्यु को भगवान का लिखा या नियति माना जाता है। मृत्यु के समय मृतक के पास के रिश्तेदार एकत्र हो जाते हैं। संभव हो तो मृत्यु के समीप आ गये व्यक्ति को जमीन में सुलाने का प्रयास करते हैं। मृतक के मुंह में गंगा जल, तुलसी पत्र डालते हैं। मृत्यु की सूचना पाते हीं सब लोग एकत्र हो जाते हैं। मृतक को पानी से नहलाते व हल्दी आदि लगाते हैं। तथा बांस की सीढ़ीनुमा ''कठली'' बनाकर उस पर मृत शरीर को रखकर नया कपड़ा ओढ़ाते हैं। मृत शरीर को कठली के साथ बांधते हैं। मृतक के पुत्र, भाई, भतीजा आदि चार व्यक्ति कठली को कंधे में उठाकर शमशान की ओर चलते हैं। शेष रिश्तेदार व गांव वाले पुरूष साथ जाते हैं। महिलाएं दरवाजे तक या गांव के बाहर तक रोते हुए आती हैं। मृतक को प्रायः दफनाया जाता है। कहीं कहीं सम्पन्न व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जलाते भी हैं। मृतक को जलाने या दफनाने में अग्नि व मिट्टी डालने का कार्य उसका पुत्र करते हैं। इसके पश्चात नदी–नालो, तालाबो में स्नान कर लोग घर आते हैं। सभी व्यक्ति मृतक के घर पहले आकर फिर अपने–अपने घर जाते हैं। उस दिन घर में भोजन नहीं बनता। अतः रिश्तेदार या अन्य सामाजिक बंधु भोजन लाते हैं। रात्रि में दीपक जलाया जाता है। तीसरे दिन सब लोग पुनः स्नान करने जाते हैं। और मृतक के नाम पर जल तर्पण करते हैं। पुत्र पौत्र व कुटुम्ब के पुरूष अपनी दाढ़ी मुंछ व सिर के बाल आदि साफ कराते हैं। तत्पश्चात दसवें दिन कुल देवी–देवता, मृत आत्मा व पूर्वजों के नाम पर पूजा व मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। इस दिन रिश्तेदारों व ग्रामवालो को खाना भी खिलाते हैं। अकाल मृत्यु या प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के जगह स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थर रखकर प्रतिवर्ष पूजा भी करते हैं।

❑❑❑❑

अध्याय - 7 राजनैतिक संगठन

नागवंशी जनजाति में समाज की उन्नति हेतु राजनैतिक संगठन पाये जाते है। परम्परागत राजनैतिक संगठन का मुख्य आधार जन–रीति या परम्परागत नियम कानून होते है। जिसके परिपालन हेतु चुने हुए पदाधिकारी होते है, इसका मुख्य दायित्व समाज को संगठित रखना, समाजिक क्रियाकलापो में एकरूपता बनाये रखने के हैं साथ –साथ जो सामाजिक नियमों को उलघन करता है । उसके लिए दण्ड देने का भी प्रावधान होता हैं। दण्ड निर्धारण का कार्य भी करते है।

7.1 संगठन का स्वरूप :- नागवंशी जनजाति में राजनैतिक संगठन का निम्न दो स्वरूप पाया जाता हैं –

(1) ग्राम स्तरीय जाति पंचायत

(2) महासभा

(1) ग्राम स्तरीय जाति पंचायत :- ग्राम स्तरीय जाति पंचायत प्रत्येक ग्राम के लिए पृथक – पृथक होता है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत में मुखिया का कार्य महासभा के लिए चुने गये पंच करते है। सबसे वृद्ध एवं अनुभवी पंच को मुखिया कहते हैं । उनके द्वारा यहां ग्राम स्तर के समाजिक गतिविधियों का सुचारू रूप से क्रियान्वमन एवं मामलों का निराकरण किया जाता है। पंचो के अतिरिक्त समाज का ही एक चुना हुआ चपरासी (सूचना वाहक) का कार्य करता है। जो आयोजन की सूचना लोगों तक तथा लोगों की समस्याएँ जाति पंचायत तक पहुंचता है। पंचो को किसी प्रकार की पारिश्रमिक धन राशि या वस्तु नहीं दिया जाता है जबकि चपरासी को देखरेख एवं सामाजिक कार्यो में अपना समय देने के कारण त्यौहार में प्रत्येक परिवार से 5 कुरो धान दिया जाता हैं।

(2) महासभा :- महासभा पूरे नागवंशी समाज के लिए कार्य करती है। महासभा में निश्चित पदाधिकारी होते हैं प्रत्येक गांव से जनसंख्या अनुसार दो या तीन पंच, एक सरपंच, सचिव एवं कोषाध्यक्ष से इन सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता हैं। परन्तु सरपंच पद पर केवल दुधकंवरा गोत्र का सदस्य पहली प्राथमिकता होती हैं । जिस ग्राम में दुधकंवरा गोत्र के सदस्य न हो तभी अन्य गोत्र के सदस्य को पंच बनाया जाता है। ग्राम कुंकुरगांव दुधकंवरा गोत्र बाहुल ग्राम है अतः महासभा के मुख्य पदाधिकारी (सरपंच व सचिव) इसी ग्राम के है। महासभा के बैठक का आयोजन ज्यादातर इसी ग्राम में एवं सुविधानुसार अन्य ग्रामों में भी रखा जाता है। महासभा का आयोजन एक साल में कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है। महासभा का आयोजन खुले मैदान में पंडाल लगाकर किया जाता है जिसमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त जाति के समस्त महिला–पुरूषों को बुलाया जाता है जिनके समझ निर्णय लिए जाते है।

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत एवं महासभा के पदो पर महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती है लेकिन महासभा के बैठको में महिलाओं को भी बुलाया जाता है और उनसे राय ली जाती है।

महासभा पुरे समाज के लिए नियम बनाता है। एवं ग्राम स्तरीय जाति पंचायत में अनसुलझे मामलों का निपटारा करता है।

पंरपरागत राजनैतिक संगठन किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में

समाज के सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार या मनमाने ढंग से काम करने लगेंगे जिससे समाज की संरचना एक दिन में ही नष्ट –भ्रष्ट हो जायेगी। जाति पंचायत के नियम कानून जनमत पर अधारित होते है। जनमत का प्रभाव समाज के रूप में स्वीकार कर लेना ही ठीक है।

7.2 निराकरण प्रक्रियाएँ :- नागवंशी जनजाति अपने जातिगत किसी भी समस्याओं का निराकरण जाति–पंचायत द्वारा कराना ही पसंद करता हैं। इस संबंध में आधुनिक ग्राम पंचायत का, पुलिस तक गया मुकदमों को नही ले जाया जाता है। मामला चाहे कुछ भी हो जैसे– गोत्र बर्हिगमन, अंतः जाति एवं अतः जनजाति विवाह के नियम का उल्लघन जैसे जाति गत मामला या चोरी, बलात्कार जैसे अन्य घटना। इन सभी घटनाओं से यदि स्वयं के समाज के लोग ही प्रभावित हुए है तो उसका निराकरण जाति पंचायत द्वारा ही करने का प्रयास किया जाता है। वैसे जाति–पंचायत में ज्यादातर मामले सामाजिक नियम कानून के उल्लंघन का ही आता है। जिसके लिए बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ती हैं।

बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना सरपंच के निर्देशानुसार चपरासी सभी ग्रामों के पंच एवं आवश्यकतानुसार समाज के अन्य सदस्यों को देता है। सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी दोषी एवं अपीलकर्ता दोनों पक्षो की बातों को गौर से सुनता है, तत्संबंधित गवाह का ब्यान लिया जाता है। इस संबंध ने लोगों राय जानने का प्रयास किया जाता है। राय जानने के पश्चात् ही सरपंच अपना निर्णय सुनाता है।

दण्ड स्वरूप प्रायः सामाजिक भोज एवं कुछ रूपये हर्जाने के लिए लिया जाता है। हर्जाने की राशि अलग–अलग घटना के लिए कम अथवा ज्यादा हो सकता है। जाति पंचायत के निर्णय नही मानने वाले व्यक्ति को समाज से बााहर कर दिया जाता है। समाज से बाहर करने का तात्पर्य यह है कि समाज संबंधित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लेन–देन या संबंध नहीं रखती है। इसे स्थानीय भाषा चोगी–पानी'' बंद करना कहा जाता है। ''चोंगी पानी'' बंद होने का अर्थ है दोषी व्यक्ति को समाज के किसी भी सदस्य से बात करने से लेकर जीवन के न्यूनतम आवश्यकता के वस्तु भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति उससे बात करे या किसी किसी अन्य प्रकार से मदद करने की कोशिश करे तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बहिष्कृत अवस्था में विशेष परेशानी उस समय आती है जब विवाह के लिए लड़की का अदान–प्रदान नही पाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज बहिष्कृत होना नहीं चाहता है और बहिष्कृत हो जाने पर जल्द से जल्द समाज में मिलना चाहता है, इसके समाज जो भी दण्ड या हर्जाना तय करता है उसे वह पूरा अवश्य करता है।

लोग समाज के नियम कानुन को क्यो मानते है इस संदर्भ में ''मैलिनोवस्की'' ने अपनी पुस्तक क्राइम इन ए सेवेज सोसाइटी'' में अपना मत प्रस्तुत किया है कि लोगों की एक–दुसरे पर आश्रित एवं पारस्परिक दायित्व की भावना ही उसे कानुन का पालन करवाती है।

7.3 जाति-पंचायत के नियम-कानून :-

(1) विवाह से संबंधित नियम :- नागवंशी जनजाति में विवाह से संबंधित बहुत ही कठोर और निश्चित नियम–कानुन है जिसका पालन करना समाज के सभी सदस्यों को लिए अनिवार्य होता हैं जो कोई भी इन नियमों को तोडता है उन्हें समाज उचित दण्ड देती है। कुछ प्रमुख नियम और उसका उल्लंघन होने पर दिये

जाने वाले दण्ड निम्नलिखित है–

(अ) गोत्र बर्हिगमन विवाह (समगोत्रिय विवाह) :- विवाह के इस नियम के अनुसार कोई भी अपने ही गोत्र (सगोत्र) के लड़की से विवाह नहीं कर सकता है।

नियम का उल्लंघन :- जब कोई व्यक्ति अपने ही गोत्र के लड़की से विवाह करता है, तो उपरोक्त नियम का उल्लंघन होता है।

दण्ड एवं निराकरण :- संबंधित व्यक्ति को परिवार एवं समाज दोनों से पृथक कर दिया जाता है यदि कोई परिवार उन्हें अपने साथ रखने का प्रयास करती हैं, तो उसे भी समाज से पृथक कर दिया जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा जाति पंचायत में समाज में पुनः शामिल होने बाबत अपील किया जाता है तब भी समाज उन्हें नही मानती है।

(ब) अंर्तजनजाति विवाह :- विवाह के इस नियम के तहत नागवंशी जनजाति को अपने ही जनजाति में विवाह करना होता है।

निराकरण एवं दण्ड :- नागवंशी जनजाति में इस नियम के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता है। तत्पश्चात् दोषी व्यक्ति द्वारा समाज में अपनाये जाने बाबत अपील करता है जिसका निर्णय जाति पंचायत के वार्षिक बैठक में किया जाता है।

नागवंशी जनजाति के समकक्ष (गोड़) जनजाति की स्थिति में समाजिक भोज और बैठक में तय किये गये राशि जमा करवाकर समाज में पुनः शामिल कर लिया जाता है। परन्तु निम्न (नागवंशी उरांव को अपने से निम्न जाति मानती है) जनजाति की स्थिति में संबंधित दम्पत्ति को समाज कभी भी शामिल नहीं करता। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें समाज में रहने की स्वीकृति दे देती है।

यदि नागवंशी लड़की अन्य जनजाति से विवाह करती है तो समाज उस लड़की को सदा के लिए नाता तोड़ लेती है।

(स) जनजाति-जाति विवाह :- जब कोई जनजाति अन्य किसी जाति से विवाह करता है तो इसे जनजाति–जाति विवाह कहते है।

नियम का उल्लंघन :- जब कोई नागवंशी व्यक्ति अन्य पड़ोसी जाति (जनजाति के अतिरिक्त) जैसे यादव, अगरिया, गाड़ा, लोहार आदि से विवाह कर लेता है।

दण्ड एवं निराकरण :- उपरोक्त मामले का निराकरण भी जाति पंचायत की वार्षिक बैठक में किया जाता है।

बारी पाठकी जाति जिनकी एक नाई धोबी होती हैं उन्हें समाज द्वारा तय की गई राशि लेकर शामिल कर लेते है परन्तु निम्न जाति (नागवंशीयों के अनुसार) गाड़ा, लोहार) की लड़की को कभी समाज में नही मिलाया जाता है। बच्चों के शामिल कर लिया जाता है।

(2) पुनर्विवाह से संबंधित नियम :-

(अ) पुरूष द्वारा पुनःविवाह :- पत्नि के मृत्यु हो जाने पर प्रायः पुनः विवाह करता है। पुरूष यदि एक से अधिक बार विवाह करता है तो पुरूष पुनर्विवाह कहते है। नागवंशी जनजाति में सामान्यतः एक से अधिक पत्नि रखने

का रिवाज नहीं है फिर भी किसी पुरूष को समाज पुनः विवाह की अनुमति दे सकता है यदि पत्नि अस्वस्थ या अपंग हो अथवा बच्चा न हो रहा हो। समाज एक से अधिक पत्नि रखने का अनुमति नहीं देता। यदि कोई पुरूष समाज से बिना स्वीकृति लिये दूसरा पत्नि बना लेता है तो समाज उसे दण्डित करता है। कुवांरी लड़की से पुनः विवाह करने पर विवाह की पूरी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है।

(ब) महिला द्वारा पुनः विवाह :- नागवंशी महिलाए पति के जीवित रहते दूसरी विवाह नहीं करती है। परन्तु पति से कलह होते रहने या अन्य पुरूष के साथ ''राजी–खुशी'' (सहम

ति बन जाने) हो जाने की स्थिति में महिला पुनः विवाह कर लेती है। महिला के पुनः विवाह कर लेती है। महिला के पुनर्विवाह को विवाह शब्द से सम्बोधित नहीं किया जाता है।इसे ''चूड़ी–विवाह'' कहते हैं इसके विवाह की पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाना पड़ता है । चूड़ी स्वीकार करने वाली स्त्री के चुरयाही श्शब्द से संबोधित किया जाता है ।

3. तलाक एवं परित्यक्ता संबंधी नियमः-

तलाक एवं परित्यक्ता से संबंधित विवादों का निराकरण जाति पंचायत द्वारा किया जाता हैं। अलग–अलग रहने की अपील पति अथवा पत्नि दोंनो में से कोई भी कर सकता है। अपीलकर्ता को अलग होने का ठोस कारण बताना होता है जिसके आधार पर पंचायत तय करती है कि दोंना का साथ साथ रहना उचित है अथवा अलग रहना। निम्नलिखित कारणों के पुष्टि होने पर जाति पंचायत पति–पत्नि को अलग रहने का निर्णय सुनाता हैं :–

(1) पति–पत्नि के बीच यदि असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई हो जिसकी वजह से रोज झगड़ा होता है।

(2) यदि पत्नि ज्यादातर अस्वस्थ रहती हो किसी कारणवश अपंग हो जाय जिससे घरेलू कामकाज को पूरा करने में परेशानी होती हो।

(3.) यदि बच्चे न हो रहें हो।

(क) पति अथवा पत्नि के विवाह पूर्व यदि किसी अन्य से शारीरिक संबंध रहें हो जिसका खुलासा हो जाने पर उनके बीच तनाव की स्थिति बन गई हो।

(ख) विवाह पश्चात' भी कोई एक अथवा दोनों व्यभिचार का दोषी पाया जाये।

(ग) पत्नि के सहमति के बगैर पति दूसरी पत्नि रख ले।

(घ) रोज–रोज पत्नि की पिटाई करना या पंचायत की मंशा यथा संभव पति–पत्नि को साथ–साथ रखने का होती है। इसलिए वह दोनो की पुष्टि या दोष व्यक्ति द्वारा अपने जुर्म स्वीकार करने के बावजूद यही सलाह देता है कि जो कुछ भी हुआ उसे अनजाने में हुआ समझ कर माफ कर दें और साथ साथ रहें परन्तू अपीलकर्ता द्वारा पंचायत की फैसला नहीं मानने की स्थिति में एक इकरारनामा दोनों द्वारा लिखित में लेकर अलग–अलग रहने की स्वीकृति दी जाती है। यदि अपीलकर्ता पत्नि हो और पति हो तो वह पति के संपति से अपना बटवारा मांग सकती है। या हर्जाने के रूप में राशि ले सकती है। अलग होने के पश्चात महिला एवं पुरूष दोनों पुनर्विवाह कर सकते है।

❑❑❑❑

अध्याय - 8 धार्मिक जीवन

नागवंशी जनजाति के धर्म का मूलाधार हैं – अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास और जादू–टोना। अलौकिक शक्ति जहा कल्याणकारी कार्य करते हैं वहीं उनके नाराज होने पर विपदा भी आ सकती हैं, इसलिए इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पूजा–अर्चना, बलि–भेट आदि चढ़ाये जाते हैं। जादू–टोने का वास्तविक पक्ष नकारात्मक होते है जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से आपदा ला सकने में सक्षम होते हैं। जादू–टोने के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए बैगा द्वारा किया जाने वाला तंत्र–मंत्र, पूजा–पाठ बलि में कल्याणकारी पक्ष हैं। नागवंशी जनजाति के देवी–देवता निम्न हैं।

(1) ग्राम देव (2) कुल देव । ग्राम देवी – देवताओं की पूजा ग्राम बैगा द्वारा किया जाता हैं जबकि कुल देवी – देवताओं की पूजा घर के मुखिया द्वारा किया जाता हैं ।

8.1 ग्राम देव :-

नागवंशी जनजाति में ग्राम देवी–देवता के प्रमुख जगह को 'सरना' कहते हैं। कुकरगांव में दो जगह सरना का स्थान हैं एक ग्राम के समीप प्रमुख सरना और दूसरा ग्राम से थोड़ा दूर 'डिपा सरना'। प्रमुख सरना पीपर, साल, सरई आदि वृक्षो के झुड़ के रूप में नीचे समतल खेतो के बीच ऊपर स्थान हैं। यहां पर पक्की चौरा का निर्माण किया गया, चौरा में उल्टे किल, त्रिशुल, ध्वज के साथ ग्राम–देवताओं को स्थापित किया गया हैं। थोड़ी ही दूर में जमीन में खोदकर एक बड़े चुल्हे का निर्माण किया गया हैं। ग्राम–देवी देवताओं की पूजा जाति बैगा द्वारा किया जाता हैं। इस स्थान में महिला एवं पुरूष दोनों आते हैं। मुर्गा, बकरे की बलि दी जाती हैं जिसे वहीं पर बने चूल्हें में पकाकर यहां उपस्थित सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। डिपा सरना में महिलायें नहीं जाती हैं। यहाँ भी जाति बैगा द्वारा पूजा–पाट किया जाता हैं। इस स्थान में बरहा (सूअर) की भेंट चढ़ाई जाती हैं।

नागवंशी जनजाति के निम्न ग्राम देव पाये जाते हैं :–

(i) देवी माता :- देवी माता को काली देवी, भवानी देवी, दुर्गा देवी, आदि नामों से संबोधित किया जाता हैं। इनकी पूजा विशेषकर नवरात्र के समय किया जाता हैं। नवरात्रि प्रतिवर्ष दो बार मनाया जाता हैं। कुवांर नवरात्र और चैत्र नवरात्र। दोनो ही नवरात्र में देवी–स्थान में 'ज्वारा' बोकर सब नवरात्रि दिन तक भजन कीर्तन (देवी जस गीत) किया जाती हैं। कुछ लोग नौ दिन तक उपवास भी करते हैं। सप्तमी के दिन काले रंग के बकरे की बलि चढ़ाई जाति हैं।

(ii) ठाकुर देव :- ठाकुर देव का स्थान सरना हैं। ग्राम में बिमारियों के प्रकोप, जादू टोना आदि से रक्षा के उद्देय से ठाकुर देव को बकरे की बलि, शराब तथा सफेद मुर्गा चढ़ाया जाता हैं।

(iii) डिहार देव :- डिहार देव और ठाकुर देव एक ही चौरा में निवास करते हैं। काली मुर्गा तथा शराब इसके भोग हैं। ये गांव की बीमारियों से रक्षा करते हैं।

(iv) डिहारिन :- इसकी पूजा डिहार देव की पत्नि के रूप में होती हैं। काली मुर्गी तथा शराब इसके भोग हैं।

(v) कुल देव :- नागवंशी जनजाति में ग्राम देवी–देवता के अलावा कुल देवी–देवता भी पाये जाते है। ग्राम देवी–देवता एवं कुल देवी–देवता की पूजा विधि में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता है ग्राम देवी–देवता की पूजा बैगा सार्वजनिक कल्याण के लिए करता है तथा कुल देवी देवताओं की पूजा घर का मुखिया परिवार के कल्याण के लिए करता हैं। नागवंशी जनजातियाँ प्रत्येक घरों में कुल–देवी–देवताओं की स्थापना, 'भीतर' राँधा घर जिसे देवता कुरिया भी कहते हैं, में की जाती हैं। जहाँ कुल देवी–देवताओं की स्थापना की जाती है उस स्थान में मिट्टी से छोटा चबुतरा बनाते हैं। इसी चबतरे में पूर्वज देवों की भी स्थापना करते हैं। इन देवताओं में कुछ देवता ऐसे होते हैं जिन्हे पशु बलि तथा शराब देते हैं, जबकि कुछ देवताओं को नारियल द्वारा भी मनाया जाता हैं।

जबकी कभी इनके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ता हैं या अन्य किसी प्रकार का संकट इनके परिवार में आ जाता है तब ये अपने कुल देवता के पास विपत्ति सहने के लिए मनौती माँगते हैं तथा आवश्यक धार्मिक कर्मकाण्ड करते हैं। ''दूल्हा देव तथा बूढ़ा देव'' नागवंशी जनजाति के प्रमुख कुल देव हैं ।

8.2 पितृ पूजा :-

ये मृतकों को पितृ मानकर उसकी पूजा करते हैं। पितृ पूजा–प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष में करते हैं। कुछ लोग तीन वर्ष में पितरों की विशेष पूजा अर्चना करते हैं जिसे त्रिशाला कहते है। बड़े लड़के के विवाह पूर्व पितरों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है जिसे 'पूजई' कहते हैं। पितृ पक्ष में किये जाने वाली पूजा में पितृ पक्ष की नवमी तिथी को समस्त स्त्रीयाँ व दशमी तिथी को समस्त पुरूष पित्तर आते हैं।

उपरोक्त के अलावा हिन्दु धर्म के देवी – देवता जैसे दुर्गा माता, शंकर भगवान, श्रीराम, हनुमान जी, भी कृष्ण आदि कि भी पूजा पाठ करते हैं ।

8.3 तीज त्यौहार :– नागवंशी जनजाति द्वारा निम्नांकित त्यौहार मनाये जाते हैं :–

(1) हरेली - यह त्यौहार श्रवण मास के अमावस्था को मनाया जाता हैं। इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती हैं। सर्वप्रथम एक झऊआं मुरूम लाकर मवेशी के कोठे के दरवाजे पर रखते हैं और खेती के औजार, नागर, जुआ, गैती, रापा आदि को ढ़ेर के पास रखते हैं। चावल आटे में गुड़ मिलाकर मिठा चिला रोटी बनाते हैं। कलश और गोबर का गौरी बनाकर गुड़ घी कर होम करते हैं। आटा को गीला करके हाथ से नागर, जुआ सहित सभी उपकरण को हाथ का छाप दिया जाता हैं। साथ में नारियल फोड़ा जाता हैं। त्रिशाला देने वाले परिवार मुर्गे की बलि देते हैं।

(2) मुटछोरा (अक्षय तृतीय) :- इस त्यौहार में किसान राशि के शुभ–अशुभ अनुसार दाने के रंग अनुसार रात के 12 बजे के बाद एकान्त में खेत पर मिट्टी के बर्तन (मटका) में धान बोवाई करते हैं।

(3) होली :- होली त्यौहार में होलिका दहन के लिए अरण्ड़ी के पेड़ को काट कर बीच में गाड़ देते हैं फिर किनारे को सुखे घास से ढक दिया जाता हैं जिसे 'कुमा' बनाना कहा जाता हैं। उसके बाद गांव के बैगा पूजा पाठ करके खम्भा को आग लगा देता हैं तब से रंग गुलाल खेलना प्रारंभ किया जाता हैं जो दिन भर चलता है। लोग बाजा–गजा के साथ घर–घर जाकर एक–दुसरे के रंग लगाते हैं। महुवा को उबाल कर होलीका

दहन में पूजा बैगा द्वारा दाल, चावल एवं दारू को अर्पण किया जाता है। अरण्डी के पेड़ को पाप (असत्य) मानकर तब्बल से कांटा जाता है।

(4) रक्षा बंधन/गोम्हा या नाग पूर्णिमा :- रक्षा बंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता हैं। यह भाई–बहन के प्रेम का त्यौहार हैं। बहन द्वारा भाई के कलाई में राखी बाधा जाता हैं, बदले में भाई अपने बहन को रक्षा करने का वचन देता हैं। इसी दिन गोम्हा पूर्णिमा या नाग पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाता हैं जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि के सींग में तेल लगा कर नमक महुआ और शाम के समय खीचड़ी भात खिलाया जाता हैं।

(5) दशहरा :- नागवंशी जनजाति दशहरा त्यौहार को बड़े धूम–धाम से मनाती हैं, दशहरा के एक दिन पूर्व एवं एक दिन बाद भी इस उपलक्ष्य में गली–गली गांव–गांव ''करमा'' का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन कुँवारी कन्या दिन भर उपवास करने के बाद शाम को ''करमा'' पेड की डगाल को आँगन में गाड़ कर उसके चारों ओर दिये जलाकर पूजा करने के बाद करमा नृत्य का कार्यक्रम करते हैं। गांव के आसपास के लोग एकत्र होते हैं एवं सुबह करमा की डाल को उखाड़ कर जल में विसर्जन कर स्नान किया जाता है।

(6) दीपावली :- दीपावली में सभी लोग घर की साफ–सफाई एवं लिपाई–पोताई करते हैं। दीपावली के दिन दरवाजा को फुल माला से सजाया जाता हैं एवं रंगोली बना कर दीया जलाया जाता हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा कर नारियल फोड़ा जाता हैं। प्रसाद और मिठाई बाँटी जाती हैं। दुसरे दिन बैल–भैस आदि पालतु पशुओं को नहलाकर दोपहर में शरीर एवं सींग में तेल लगाया जाता हैं। तत्पश्चात् सभी पशुओं को खिचड़ी भात खिलाया जाता हैं। घर–घर में रोटी बनाकर एक दुसरे को बाटा जाता हैं।

(7) देव उठनी :- देव उठनी त्यौहार में अपने–अपने इष्ट देवताओं की पूजा की जाती हैं। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसा माना जाता हैं कि इससे पहले देवता गण सोये रहते है। और इस दिन जगते हैं। अतः इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे – विवाह, घर बनाना आदि प्रारंभ किया जा सकता हैं। इसी दिन गुनिया (देवार) अपने शिष्यों को विद्या सौंपता है। और खर (पुवाल) का मांचा बनाया जाता है। उसी के नीचे गुनिया (देवार) देवन गुरू (महादेव–पार्वती) के नाम का रातभर गाजा–बाजा के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इसी दिन सभी शिष्य अपने गुरू को बकरा, धोती अर्पित करते है।

(8) छेरछेरा :- छेरछेरा नागवंशी जनजाति का प्रमुख त्यौहार हैं। इस त्यौहार में सभी को नये कपड़े दिये जाते हैं। एक–दूसरे के घर मेहमान आते जाते हैं। रोटी और चावल का शराब (हड़िया) दिया जाता हैं।

(9) तीजा :- इस दिन महिलाएँ उपवास करके अपने पति के लम्बी उम्र की कामना करती हैं।

(10) जीवत्पुत्रिका व्रत :- जीवत्पुत्रिका व्रत महिलाओं द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु को कामना के साथ किया जाता हैं।

8.4. गणेश चतुर्थी :- गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना करते हैं। एवं बालिकाएं भोजली उगाते हैं। भाद्र एकादशी को बालिका कर्मा उपवास रहती हैं। रात भर पुरूष एवं महिला मादर, ढ़ोल, मजिरा के साथ करमा नाचते हैं। दूसरे दिन (द्ववादश) को सभी अपने–अपने घर में नवाखाई का त्यौहार मनाते है। नवाखाई में नया धान के चावल बने रोटी एवं नारियल लेकर अपने–अपने देवी–देवताओं का पूजा किया जाता हैं।

साथ ही अन्य मनपसंद पकवान बनाये जाते हैं। गणेश जी का भजन कीर्तन कर गणेश जी के मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता हैं।

8.5 आत्मा एवं भूत प्रेत :- नागवंशी जनजाति आत्मावादी विचार धारा में विश्वास करती हैं । वह मृत्यु पश्चात् आत्मा के अस्तित्व को मानती हैं। यही कारण हैं कि दशकर्म के दिन पूर्वज की आत्मा की जांच रात में सबके सो जाने के पश्चात् की जाती हैं। जाँच के लिए देवता कुरिया में दिया जलाकर चावल को फैला दिया जाता हैं, फिर परिवार के सभी सदस्य घर से दुर चले जाते हैं कुछ समय पश्चात् घर लौटकर बैगा चावल में कुछ निशान खोजता है। निशान के पाये जाने पर समझा जाता है कि आत्मा का आगमन हुआ हैं। इसी प्रकार जन्म लिये बच्चे में पूर्वज का चिन्ह खोजा जाता हैं।

भूत प्रेत :- नागवंशी जनजाति भूत–प्रेत पर भी विश्वास करती हैं, मान्यतानुसार जवान व्यक्ति की किसी दुर्घटनावश हुई अचानक मृत्यु से उसकी आत्मा भटकती रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। इन्ही आत्माओं को जादू–टोना कहने वाले अपने वश मे करके भूत–प्रेत बना देते हैं ।

प्रायः माना जाता हैं कि भुत–प्रेत का निवास ईमली, पीपल, बरगद, कदम आदि वृक्षों में होता हैं। ऐसे स्थानों में रात्रि के समय लोग जाने से डरते हैं। भूत–प्रेत अमावस्या व पूर्णिमा को अधिक सक्रिय रहते हैं।

भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता हैं बल्कि पागलों जैसा हरकत करता हैं। अपने द्वारा किये गये व्यवहार को याद नही रखता हैं। लोगों का मान्यता हैं कि भूत–प्रेत सभी को दिखाई भी नहीं देते और न ही अपने प्रभाव में ले सकते हैं। ये पतले परछाई वाले इंसान को ही दिखाई देते हैं और उस पर भूत प्रेत का असर जल्दी होता हैं। भुत पकड़ने पर इंसान को अपना शरीर भारी लगने लगता है। घर से बाहर होने पर इंसान कही का कही और चला जाता हैं। मुंह से आवाज नहीं निकलती है। इस स्थिति में झाड़–फुक करने वाले बैगा को बुलाया जाता हैं। बैगा जादुई कर्मकाण्ड कर भुत के प्रभाव को निष्क्रिय करता है।

जादू - टोना :- नागवंशी जनजाति जादू–टोना पर भी अत्यधिक विश्वास करती हैं। आज भी किसी व्यक्ति के अचानक बीमार पड़ने पर बीमारी का डाक्टरी इलाज कराने पर भी ठीक न ही होने, लगातार या अक्सर बीमार रहने के वजह को जादू–टोना का ही असर मानकर झाड़–फुक करवाते मिल जायेगें। जादू–टोना करने वाले को टोन्हा, टोन्हीं जलन आदि नामों से जाना जाता हैं जादू–टोना का असर इतना अधिक व्यापक हैं कि गुपचुप रूप से प्रत्येक परिवार दुसरे घर की महिला को टोन्ही होने का संदेह करती रहती हैं। किसी महिला के टोन्ही होने के संदेह होने पर उनसे दुर रहने का प्रयास करते हैं। बच्चों को अक्सर हिदायत देते रहते हैं कि फलाना के घर मत जाना और कुछ खानि के दे तो मत खाना आदि।

8.6 रोग निदान एवं उपचार :- नागवंशी जनजाति का वनों से घनिष्ठ संबंध होने के कारण वनौषिधियों का भी ज्ञान होता हैं। रोग एवं अस्वस्थता को तीन प्रकार से उपचार किया जाता हैं। जादुई धार्मिक कर्मकाण्ड, नाड़ी देखकर व लक्षण आधारित प्रविधियां में करते है।

❑❑❑❑

अध्याय - 9 लोक परम्पराएँ

लोक परम्पराओं में किसी भी समाज विशेष की आत्मा अंकित होती है। लोक परम्पराएं किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न कर पूरे समुदाय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम होते हैं। लोक परम्पराएं सदियों से जन मानस के जीवन में रची बसी है और आज में भी अतीत की परम्परा को वर्तमान में भी अशंतः जीवित बनाये हुए हैं।

नागवंशी जनजाति में भी लोक परम्पराएं पाये जाते हैं जिनमे लोकगीत और लोकनृत्य प्रमुख हैं।

9.1 लोक गीत :-

किसी व्यक्ति–विशेष का रचा हुआ गीत जब सामाजिक क्षेत्र में उतरकर समाज की धरोहर बन जाता है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उस गीत से हट जाता है तथा समस्त समाज का व्यक्तित्व उस पर अंकित हो जाता है, तभी वह गीत लोक गीतों की क्षेत्रों में आता हैं।

लोक गीत चूंकि सामाजिक धरोहर होते हैं, इसलिए अधिकतर सामूहिक रूप से ही गाए जाते हैं। व्यक्तिक रूप से गाने की परम्पराए लगभग नही के बराबर हैं।

नागवंशी जनजाति के लोक–गीत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गीतों से प्रभावित होते हुए भी अपनी विशिष्टता लिए हैं। इन लोक गीतों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे ददरिया, डण्डा, गौरा, सुआ, कर्मा, डोमकेच (आदि) इसके अलावा धार्मिक उत्सवों पर गाये जाने वाले लोकगीत नवरात्र आदि हैं। इस जनजाति के लोग गीतों में प्र.ति वर्षा, पानी, हवा, बिजली, पर्वत, नदी–नाला। पेड़ों में बरगद, आम, पीपल, कदम, ईमली, महुआ, बांस, खजूर, करमा, चार, तेन्दू, कोईतार। पक्षी में कबूतर, मैना, सूगा, कोयली, सालहो मैना, हरीन, हुंकरा, घाघर, तीतर, पपिहा, मयूर आदि पक्षियों की प्रधानता गीतों में रहता है। नागवंशियों का प्रत्येक लोग गीत में इसका चित्रण अवश्य मिलता है।[8]

ददरिया :- ददरिया नायक–नायिका के प्रेम–संवाद प्रधान गीत होते हैं, जिसे वे काम करते समय सामान्यतः और उत्सव आदि अवसरों में गाते हैं । नागवंशी जनजाति ददरिया को स्थानीय बोली में ददरि या दादिर कहते हैं जो इस प्रकार है :–

i) ददरि का डड़ि येहि देल,
पता ंगवा के डाड़ी खबरी भेजी देल

भावार्थ :-

ददिर गीत के मैदान में, ददिर गीत गाने वाले आवाज दिये। उसी जगह से हम सुचना भेज रहे हैं।

ii) झटा रे झुरी कड़के बंधना
जाति सगा संग रते रे खवातेन रंधना
करेला का बोली मारे,

बोली मारथे निरमेदी रे पंजरा धुन

खाये करेला ला का बोली.....

भावार्थ :-

छोटे–छोटे लकड़ी को कस कर बांधे हो, यदि अपने ही समाज के होते तो खाना खिलाते। इस पक्ति में लकड़ी को उपमा के रूप में प्रयुक्त किया गया है जो बालो का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरे पक्ति में जो अर्थ छुपा हुआ हैं वह इस प्रकार है :– एक लड़की जो बालों को कस कर बांधी हुई हैं, उसे देखकर लड़का दूर से पूछता हैं कि तुम जात–सगा हो क्या ? यदि जात–सगा होगे तो रंधना खिलाते रंधना खिलाने का काम पत्नियां करती हैं।

इसके जबाब में नायिका कहती हैं –

करेला (कडू) खाये हो क्या जो इस प्रकार कड़वे–कड़वे और नाना प्रकार के भेदपूर्ण बात कर रहे हो।

iii) चढ़गे टोंगरी , उसरी गे बथान

गेरी धरे हस चिररया मेड़रथे छछोद।

करेला ला.....

नायक कहता हैं :- टोंगरी (पहाड़) चढ़ गये और थसिस उतर रहें हो। गोरी (नायिका को) तुम जो चिररया (पक्षि) रखे हो उसे देखकर छछांद (बाज) उसी के इर्दगिर्द चक्कर काट रहे हैं।

नायिका जबाब में पुनः उसी बात को दुहराती हैं।

iv) राजा ला करि , सरोई बरोबेर,

कोने –कोने ला निभारिहो दिखथन एके मोर,

क्रेला ला का.....

नायक कहता है :- साजा वृक्ष को काट रहें हो कि सरोई (सरई) वृक्ष को, भेद कर पाना मुसकिल है। क्योकि दोनों तो एक ही समान दिखाई देता हैं (प्रतिकात्मक) किसको निभा (चाह) रहें हो पता नहीं चल रहा हैं।

नायिका पुनः वहीं जबाब देती हैं।

v) छेतका पेंड़की डेना ला उठाय

दुई दिना के जिन्गानी तोर करम ला नडाय।

करेला ला का.....

पालने वाला पड़की (एक पक्षी) अपने डेना (पंखो) को उठा रही हैं (अर्थात् भग जाना चाहती हैं) इस प्रकार दो दिन की जिन्दगी (थोड़े समय की जीवन) में अपनो करम (भाग्य)को बिगाड़ रही हैं।

कर्मा :-

भद्र कृषण पक्ष एकादशी के दिन बालिकाए उपवास रहती हैं जिसे कर्मा बरत कहते हैं और रात भर

पुरूष वर्ग के साथ ढ़ोल–मादेर के साथ नाचते है, दुसरे दिन नया खाई का त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा दशहरा के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व कुमारी कन्या दिनभर कर्मा व्रत करती हैं, रात के करमा पेड़ की डगाल को आंगन में गाड़ कर इसके चारों ओर दिये जलाकर पूजा करती हैं एवं रात भर कर्मा नृत्य किया जाता है। यह तीन दिनों तक चलता हैं। करमा मुख्यतः एकादशी करमा, आठई करमा, जितिया करमा, दशई करमा, सोहरई करमा, तिजा करमा के रूपों में मनाया जाता है।

(i) **एकादशी करमा** :- भाद्रपक्ष के एकादशी को बनाया जाता है। करम राजा की पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

(ii) **आठई करमा** :- भाद्रपक्ष के अष्ठमी को महिला एवं पुरूष अपने–अपने बाल बच्चों के सुख शांति के लिये उपवास रखती है।

(iii) **जितिया करमा (तीजा करमा)** :- भाद्रपक्ष के शुक्लपक्ष के तीज को अपने पति के लिये उपवास रखती है।

(iv) **दशई करमा (दशहरा करमा)** :- विजयदशमी के दिन लडके–लड़कियां अपने–अपने माता पिता एवं भाई बहन के लिए उपवास रखती है।

(v) **सोहरई करमा** :- दिपावली के दिन महिला–पुरूष धन–दौलत, ऐश्वर्य, वैभव के लिए उपवास रखती है।

जरथे कण राजा अस्सथान
मानुस भागथे छिछी छांद

(1) काकर जरे ऐ रे , हलकी पलकी
काकर जरे अस्सथान
मानुस भागथे छिछी छांद.....

(2) राजा कर जरे ऐ रे पिहु ..... लो पलांग
रानी कर जरे अस्सथान
मानुस भागथे छिछी छांद.....

भवार्थ :-

1. किसका हल्की डोली जला और किसका जला स्थान उसको देखकर मनुष्य इधर–उधर भाग रहें हैं।
2. राजा के जले अपनी पत्नी के पलंग और रानी के जले स्थान। मनुष्य इधर–उधर भाग रहें हैं ।

डोमकेच :-

डोमकेच नव युवक–युवतियां अपने संगी–साथी के विवाह निश्चित हो जाने पर विवाह के तीन माह पूर्व प्रत्येक रात से, उनके घरों में नाचते–गाते हैं। कुछ समय पूर्व जाति पंचायत द्वारा तीन माह पूर्व से डोमकेच नाचने को प्रतिबंद्धित कर 15 दिनो तक किया गया। लेकिन वर्तमान में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया हैं। इसमें रात भर युवक युवतियां मिल कर नाचते हैं जिससे कई विसंगतियां आने लगी थी। शादी के पूर्व

लड़का एवं लड़की के घर में नाचा जाता था। इसके पिछे कई किवदंतियां हैं। डोमकेच नाचने के पिछे मूल कारण लड़का–लड़की के मन को केन्द्रीत करना होता है। ताकि लड़का एवं लड़की का ध्यान कहीं किसी दूसरे लड़का या लड़की के तरफ न हो। इसलिए शादी के एक दिन पूर्व तक डोमकेच नाचने की पुरानी प्रथा थी। लेकिन यह देखा गया कि डोमकेच नाचने के बहाने कई लड़के–लड़कियां भागने लगे थे। इसलिए इसे बंद कर दिया गया।

(1) अंगना डोमकेच खेली , मीठी ल चोर फोंगी।
राहा रे दही जारा चोर जीवा जाही तोर।।

भवार्थ :- घर के आगन में डोमकेच खेल रहे हैं, उसी समय चोर लोग दीवाल को फोड़ दिये, यदि ये चोर एक बार भी पकड़ में आ जाये तो उनका जान जायेगा।

(2) डोमकेच केचकेचा , राति कर उसनिंदा।
बिहाने दगा देल ,

भवार्थ :- डोमकेच नाचते–नाचते सुबह हो गई, अभी और नाचने की इच्छा हैं, परन्तु रात भर के उसनिंदा होने की वजह से अब आंखे ही दगा (धोख) दे रही हैं।

(3) ढोलकी तो बाजतहाब, तीन दिनक निखे खाल।
हमर गला छूरतहाव, कोयली समान।।

भवार्थ :- ढोलक बजा रहें हैं ,तीन दिन से खाना भी नहीं खये हैं, फिर भी हमारे गला से कोयली के समान राग निकल रहा हैं।

(4) ढोलकी बाजिलो राती , कड़की उढोलो छाती ।
जीवा नी तो माने रे, बदकी चलब राती।।

भवार्थ :- रात में जब ढोलकी बजने लगता हैं, तो छाती में कम्पन होने लगता है। जीव (मन) नहीं मानता हैं और रात में ही वहॉ चले जाते हैं।

(5) खाले तो पन चुहा चले, उपरे जहाज।
उड़ती बकूला सोना , मछरी खियाब।।

भवार्थ :- नीचे में पन चुहा चिड़िया चलती हैं और आकास में जहाज चलता है। बकूला चिड़िया उड़ते–उड़ते सोना मछली को खा लेता हैं।

(6) जशपुरक डगर में लमती चटायन।
लमती चटायन में तो निंदरी मंजाय।
निंदरी जागय सोना निचर बैमान।।

भवार्थ :- जशपुर जाने के रास्ते में एक लम्बी चट्टान हैं। लम्बी चट्टान में सोकर नींद भगाना हैं। जो इस समय जगा दिया वह बेईमान (दुषट) व्यक्ति हैं।

(7) कांहा कर बरतिया रे, लाल पियर उजर झांखर।
कांहा कर बरतिया, कुसूम रंगल साड़ी।।

भवार्थ :- कौन गांव के बरतिया हैं जो लाल, पीला और सफेद धोती कुर्त्ता पहने है, और कौन गांव के दुल्हन हैं जो कुसुम रंगे साड़ी पहनी हैं।

(8) जशपुर के बरतिया रे, लाल, पियर उजर झाखर।
उदेयपुर बरतिया , कुसुमा रंगल साड़ी ।।

भवार्थ :- जशपुर के बरतियां हैं जो लाल, पिला और सफेद धोती कुर्ता पहने हैं । और उदयपुर के बरतिया हैं जो कुसुम रंगे के साड़ी पहनी हैं।

(9) हरि हरा कोसम डारे , बैइठ राजा देवा चरई।
देवा के मारैय्या रे बंदूक लेले आल।।

भवार्थ :- हरा–हरा कोसम (वृक्ष) के डाल में नीलकंठ चिड़िया राजा समान बैठा हुआ हैं। उसे क्या पता कि मारने वाला बंदूक लेके आ रहा हैं।

(10) मोटर चले हुदा–हुदा, रेल चले छे–छे पैसा।
बारा तो दुई बजे रे , नगरे पहुंचाये।।

भवार्थ :- मोटर चलता है हुद– हुद करके , रेल चलता है छे–छे पैसा' आवाज करके चलती है। बारा (बारह) और दुई (दो) बजे के बीच नगरे '(जशपुर) पहुंचाता हैं ।

डण्डा गीत

1. कहा जनमें जी नागवंशी राजा , कहां जनमें खैखारे हो राम।
नागपुरे जनमें जी नागवंशी राजा, खैरपुरे जनमें खैखारे हो राम ।।

2. कहां जनमें रे, ढेलकी चिरईया, कहां जनमें दुधा नांग हो।
ढेल तरी जनमें हो, ढेलकी चिरईया, भुँडू तरी जनमें दुधा नांग हो।
किया चारा खावे हो, नागवंशी राजा, किया चारा खावे खैखारे हो,
किया चारा खावे हो ढेलकी चिरईया, किया चारा खाये दुधा नांग।
दही दुधा खये नागवंशी राजा, खीर–पुरी खाये खैखारे हो।
कनकी खुदी खाये ढेलकी चिरईया, फाफा फिलगा खाये दुधा नांग हो।
खाल धारे छेंकोहो, नागवंशी राजा, उपर धारे छेंके खेखारे हो।
दस मुड़ा काटे नागवंशी राजा, बीस मुड़ा कांटे खैखारे हो ।।

मुड़ा ना काटी, काटी रकता, बोहाइगेल, पापी के रकतर नरवा बोहइगे।
धरती के रकता चवरा छंदाते नान् ।

राम चर्चा गीत

भोजिले गोविन्दा बना ले ल ।।2।।
अबचिहा नस भुली गेल ।।2।।

(1) डोंगा कर ठाक –ठीक, भावना गुंजरे
भावना गुजरत चले, नदीया के तीरे
जहां सोन बैइला हुंकरे ।।घोवा।।
भोजिले गोविन्दा.....

(2) छपित बदम चॉद बबरी , राधे रूप
चितवर तेजस ज्ञान री,
आइल बांधे ,झाइल बांधे
हरवा चमके चंदनी
अनलेख में भागे बबरी
राधे रूप चितबर ज्ञान री ।।

❑❑❑❑

अध्याय - 10 समस्याएं एवं परिवर्तन

नागवंशी जाति विकास हेतु प्रयासरत हैं किन्तु कुछ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्यगत समस्याएं भी है जो निम्न है –

(अ) सामाजिक समस्याएं :–

1. बाल विवाह चलन :-

दुर्गम क्षेत्र में निवासरत होने के कारण एवं जागरूकता के अभाव के कारण आज भी अधिकांश युवक–युवतियों का विवाह निर्धारित आयु के पूर्व ही सम्पन्न हो जाता है। जिसके कारण होने वाले बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहें हैं।

2. अंधविश्वास :-

नागवंशी जाति में अंधविश्वास एवं रूढ़ीवादी विचारधारा भी है। जिसके कारण नये विचारों की स्वीकार्यता विलम्ब से प्राप्त होती है। जो उनके विकास में बाधक हैं।

3. नशा :-

नागवंशी जाति के सदस्यों में नशे की लत सामाजिक विकास में बाधक है। नागवंशी स्त्री–पुरूषों द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब तथा हड़िया (चांवल की शराब) का सेवन किया जाता है। जो स्वस्थ्य के साथ–साथ आर्थिक, परिवारिक एवं सामाजिक रूप में भी नुकसान दायक हैं।

(ब) आर्थिक समस्याएं :-

1. नागवंशी परिवारों की कृषि भूमि असिंचित एवं पारम्परिक पद्धति पर आधारित एक फसली है। परिवार के विघटन तथा भूमि के बंटवारे के कारण प्रत्येक परिवार के पास पर्याप्त कृषि भूमि का आभाव हैं, जिससे उत्पादित फसल वर्षभर अपर्याप्त होता हैं।

2. नागवंशी परिवारों के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार रहते है। शासकीय योजनाओं / कार्यों में कुछ ही दिन रोजगार मिल पाता हैं।

(स) शैक्षणिक समस्याएं :-

नागवंशी जाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव हैं अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री साक्षरता की दर अत्यंत दयनीय है। नागवंशी शिक्षा ग्रहण करना समय की बर्बादी तथा आर्थिक नुकसान मानते है। इसी कारण बालकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात कृषि संबंधी कार्यो में तथा बालिकाओं को घर के छोटे भाई बहनों की देख भाल में संलग्न कर देते हैं।

(द) स्वास्थ्यगत समस्याएं :-

1. नागवंशी जाति में अनेक स्वास्थ्यगत संबंधी भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। वे रोगग्रस्त होने के स्थिति में उपचार हेतु सर्वप्रथम झाड़–फूंक एवं परम्परागत चिकित्सा को ही प्राथमिकता देते हैं।

2. नागवंशी निवास क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारण इन क्षेत्रों में अप्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोग का ठेका में उपचार किया जाता है। अर्थात किसी रोग के उपचार हेतु राशि पूर्व में तय कर लिया जाता है। जो 1000–1500 रूपये तक होता है। जिसे रोगी के परिवारजन किस्तों में भुगतान करते हैं। इस प्रकार अयोग्य व्यक्ति के हाथों उपचार करवाकर नागवंशी सदस्य स्वास्थ्य एवं आर्थिक शोषण का शिकार बनते हैं।

3. नागवंशीजाति में गर्भवती स्त्रियों द्वारा आयरन, कैल्शियम एवं फॉलिकएसिड की गोलियों का पर्याप्त अथवा नियमित सेवन नहीं किया जाता है। जिससे प्रसव दौरान व उपरांत माता एवं नवजात की स्वास्थ्यगत समस्याओं की संभावना बनी रहती है।

जीवन परिवर्तन :-

नागवंशी जाति में शिक्षा, अवागमन एवं बाह्य सम्पर्क तथा नवीन तकनीकों के प्रयोग के कारण उनकी जीवन शैली, रहन सहन में परिवर्तन देखने को मिलता है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाजों परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव दिखाई देता हैं।

1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन :-

(अ) ग्राम :-

नागवंशी निवासरत ग्रामों में प्रायः लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसेः– गांव में पाठशाला, आगनबाड़ी, विद्युत, पेयजल, हैंण्डपम्प, सड़क आदि की व्यवस्था होने से उनके जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलता हैं।

(ब) आवास :-

परम्परागत आवास के स्थान पर नई शैली के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास निर्माण हेतु पक्की ईट, सीमेंट, रेत, बड़ी खिडकियों का उपयोग करने लगे हैं। घरों की पुताई छुही से करते हैं।

(स) दैनिक उपयोगी वस्तुएं :-

नागवंशी परिवारों में नवीन दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। वर्षा काल में छाता, रैनकोट, उपयोग का उपयोग भी समय के साथ–साथ बढ़ने लगा है।

(द) रसोई की वस्तुएं :-

नागवंशी जाति में रसोई में मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर अब भोजन बनाने हेतु एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग होना लगा है।

(य) वस्त्र विन्यास एवं साज श्रृंगार :-

शारीरिक स्वच्छता हेतु अब दातौन के स्थान पर अब बाजारों में उपलब्ध टूथ–ब्रस एवं टूथपेस्ट व स्नान एवं कपड़े धोने हेतु साबून और वासिंग पाउडर तथा बाल नाई से कटवाने लगे है। स्नान के पश्चात श्रृगांर हेतु सुगंधित तेल, पाउडर, बिंदिया, फीता, क्लिप का प्रयोग करने लगे हैं।

(र) आर्थिक कार्यो संबंधित वस्तुएं :-

नागवंशी जाति के लोग कृषि हेतु हल–बैल का उपयोग करते हैं। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इसके संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या में कमी परिलक्षित हो रही हैं।

(ल) आवागमन के साधन :-

नागवंशी जाति के सदस्य सायकल, मोटर साइकिल आदि का उपयोग आवागमन के साधन के रूप में करते हैं।

2. जीवन संस्कार में परिवर्तन :-

1. नागवंशी जाति में प्रसव पारम्परिक दाई के द्वार किया जाता था। वर्तमान में प्रशिक्षित मितानीन (दाई) एवं नर्स की देखरेख में कराया जाने लगा है तथा नवजात शिशु के नाल काटने के लिए नए ब्लेड का उपयोग किया जाने लगा हैं। कुछ परिवारों द्वारा अस्पताल में भी प्रसव कराया जाने लगा हैं।
2. वर्तमान समय में गांव–गांव में आगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण माता व शिशु के पोषण एवं टीकाकरण की स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा हैं।
3. नागवंशी समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा के स्थान प्रशासन द्वारा निर्धारित आयु में विवाह किया जा रहा है।
4. नागवंशी जाति में पूर्व में वैवाहिक कार्यक्रम पांच दिनों का होता था, किन्तु खर्च की अधिकता एवं समायाभाव के कारण विवाह तीन दिनों में सम्पन्न होने लगे हैं।
5. जन्म एवं विवाह अवसरो में दिये जाने वाले उपहार के स्वरूप में भी परिवर्तन आया हैं।
6. जन्म एवं विवाह संस्कार में पारम्परिक गीत संगीत के साथ–साथ आधुनिक गीत संगीत वाद्ययंत्रों, लाउडस्पीकर का उपयोग होने लगा है।

3. सामाजिक जीवन में परिवर्तन :-

1. पूर्व मे नागवंशी जाति के लोग का अन्य समकक्ष जाति के साथ खान–पान संबंध नहीं था किन्तु वर्तमान समय में सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण आपस में भोजन ग्रहण करने लगे हैं अर्थात सामाजिक दूरी में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा हैं।
2. नागवंशी जाति में सुंयक्त परिवार को आदर्श माना जाता है। किन्तु आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण करने लगे हैं।
3. नागवंशी परिवारों में परिवार के मुखिया निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र था जिसे सभी परिवार के सदस्य स्वीकार करते थे किन्तु वर्तमान में परिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगे हैं।
4. अन्तर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से यात्रा, निवास, खान–पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया हैं।

4. आर्थिक जीवन में परिवर्तन :-

नागवंशी जाति के अर्थव्यवस्था में वनोपज संकलन, शिकार, मछली मारने का कार्य सीमित होने लगा हैं, तथा .षि तथा गैर शासकीय मजदूर की एवं शासकीय मजदूरी (मनरेगा) में वृद्धि होने लगा है। साथ–साथ शासकीय नौकरी की ओर लोगों का रूझान बढ़ने लगा है।

5. धार्मिक जीवन में परिवर्तन :-

नागवंशी जाति के धर्म प्रकृति, आत्मा, आलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित हैं वे अपने प्राचीन रीति–रिवाजों के अनुसार पूजा अनुष्ठान का निर्वहन करते हैं तथा साथ ही साथ हिन्दु देवी–देवताओं को भी पूजने एवं मानने लगे हैं।

6. नृत्य संगीत में परिवर्तन :-

नागवंशी जाति में जीवन संस्कार, धार्मिक कार्यक्रमों एवं मनोरंजन हेतु पारम्परिक लोकगीत, संगीत के प्रचलन के साथ–साथ इसमें नवीनता दिखाई देने लगी है।

7. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन :-

नागवंशी जाति में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिकाओं में शिक्षा का स्तर कम था, जिसमें सुधार हो रहा है। पूर्व में नागवंशी बालक प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहें थे जो वर्तमान में उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते दिखाई देते है।

❑❑❑❑

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) फोन : 0771-2960530

E-mail : trti.cg@nic.in, Web : www.cgtrti.gov.in